

## foHkx i e[ka ds vlnSk I pkyuky;] uxj rFk xte fuoSk] e/; inSk] Hkky

^dpukj^] b&5] i ; kbj.k ifj l j] vjjk dkykuh] gchxat i fyl Fkkuk ds ikl ] Hkky &462 016

Øekd&5712&ver&fo; ks&10&uxtfu&2020

Hkky] fnuKd 29 fnl Ecj 2020

, rn}kjk ; g l puk nh tkrh gSfd fl æjksyh fuoSk {k= dsfy, fodkl ; kstuk dk ik: i e/; inSk uxj rFk xte fuoSk vf/kfu; e] 1973 ¼- 23 l u-1973½ dh /kkjk 18 dh mi /kkjk ¼¼½ ds mi cdkkadsvud kj fuEukuq kj i dlf'kr fd; k x; k g] bl dh , d i fr l pkyuky; dh osl kbV& <http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing 2035Draft.pdf> ij rFk dk; kÿ; hu l e; eafuEufyf[kr dk; kÿ; kaefujh{k.k dsfy, mi yC/k g&

- 1- vk; Ør] jhok l HkKx] jhok
- 2- dyDVj] ftyk fl æjksyh
- 3- vk; Ør] uxj ikfyd fuxe] fl æjksyh] e/; inSk
- 4- mi l pkyd] uxj rFk xte fuoSk] ftyk dk; kÿ; fl æjksyh] e/; inSk

; fn dkbZvki frR ; k l Øko ik: i fl æjksyh fodkl ; kstuk ds l æk eagk ml sfyf[kr : i eami l pkyd] uxj rFk xte fuoSk] ftyk dk; kÿ; ] fl æjksyh ; k b&ey vkbMh [obj-sugg-singrauli@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-singrauli@mp.gov.in) eabl l puk dse/; inSk jkti = ea i dlf'kr gkusds fnuKd l s30 fnu dh vof/k dk vol ku gkusds i. l E; d fopkj grqi l r fd; k tk l drk gS

**vtr dëkj** vk; Ør&l g&l pkyd-

No - 5712-Amrut-D.P.-10-TCP-2020

Bhopal, the 29<sup>th</sup> December 2020

### NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Singrauli Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing2035Draft.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
- 2- Collector, District- Singrauli
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Singrauli
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Singrauli


If there be any objection or suggestion with respect to the said Singrauli Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Singrauli or mail on Email-id- [obj-sugg-singrauli@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-singrauli@mp.gov.in) before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

**AJEET KUMAR**, Commissioner-cum-Director.



# सिंगरौली

## विकास योजना 2035 (प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

## प्रस्तावना

विंध्य प्रदेश में स्थित सिंगरौली प्राकृतिक वन एवं खनिज संपदा से भरपूर है। मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित सिंगरौली सीधी जिला मुख्यालय से 108 किलोमीटर एवं संभागीय मुख्यालय रीवा से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जबलपुर, कटनी, चोपन (उ.प्र.), हावड़ा (कोलकाता) आदि नगरों से रेलपथ द्वारा जुड़ा हुआ है। सिंगरौली उत्तर में प्रयागराज (उ.प्र.), मिर्जापुर (उ.प्र.), बनारस (उ.प्र.), दक्षिण में शहडोल, अम्बिकापुर (छ.ग.), पूर्व में सोनभद्र (उ.प्र.) तथा पश्चिम में सीधी, रीवा से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।

सिंगरौली नगर रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135-सी से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत नगर की प्रथम विकास योजना 2011 तैयार की गई थी जिसका पुनर्विलोकन किया जा कर सिंगरौली विकास योजना 2031 म.प्र. शासन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-26-2014-32 भोपाल दिनांक 16 मार्च 2015 के द्वारा अनुमोदित कर शासन द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 27 मार्च 2015 से प्रभावशील की गई। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर सिंगरौली विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है। योजना काल की जनसंख्या का आंकलन कर नगर विकास की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारण के साथ नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किए गए हैं। सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें।

## सिंगरौली: विकास योजना-2035 योजना दल

### संयुक्त संचालक

नीरज आनंद लिखार

डॉ. अमित कुमार गजभिये

राजेश नागल

### उप संचालक

इन्द्रनारायण

### सहायक संचालक

संकल्प शुक्ला

नागेश पन्द्रो

इंदु त्रिपाठी

### कर्मचारीगण

आर. एम. पटेल

मीना वर्मा

बुद्धदेव सिंह

राम कुमार पाण्डेय

उदित पाण्डेय

प्रकाशकुमार विश्वकर्मा

अंशुल गुप्ता

ईश्वरमणी सोनी

### म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल

डॉ. विवेक कटारे

प्रमुख

डॉ. देवानु भटनागर

परियोजना समन्वयक अमृत

डॉ. जगदीश पलसावदिया

अनुसंधान सहयोगी

तनवी जैन

अनुसंधान सहयोगी

## विषय सूची

प्रस्तावना.....	i
योजना दल.....	iii
विषय सूची.....	v
सारणी सूची.....	xi
मानचित्र सूची.....	xiii
<b>अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ.....</b>	<b>1</b>
1.1 नगर परिचय.....	1
1.1.1 पृष्ठ भूमि.....	1
1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ.....	1
1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति.....	2
1.2.1 भौतिक स्वरूप.....	2
1.2.2 प्राकृतिक जल विकास.....	3
1.2.3 खनिज संपदा एवं निर्माण सामग्री.....	3
1.2.4 जलवायु.....	4
1.3 नियोजन हेतु प्रयास.....	4
1.4 नियोजन प्रस्ताव.....	5
1.5 निवेश क्षेत्र.....	5
1.5.1 नगर निगम क्षेत्र.....	13
<b>अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....</b>	<b>15</b>
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग.....	15
2.1.1 अमृत योजना.....	16
2.1.2 सुदूर संवेदन.....	16
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....	17
2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.....	18
2.2.1 उद्देश्य.....	19
2.2.2 कार्यप्रणाली.....	20
2.3 अमृत मानकों की व्याख्या.....	21

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....	21
2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता.....	33
2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प.....	34
2.5 भूमि उपयोग का आवंटन.....	40
<b>अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण.....</b>	<b>41</b>
3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य.....	41
3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन.....	41
3.2.1 आयासीय.....	43
3.2.2 वाणिज्यिक.....	43
3.2.3 औद्योगिक.....	43
3.2.4 मिश्रित.....	43
3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ-सुविधाएँ.....	43
3.2.6 आमोद-प्रमोद.....	44
3.2.7 यातायात एवं परिवहन.....	44
3.3 योजना कालावधि.....	44
3.4 अधिनियम की धारा 23-क(1) के अंतर्गत उपांतरण.....	44
3.5 असंगत भूमि उपयोग.....	45
3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण.....	47
3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण.....	47
3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात.....	50
3.6.3 शिशु जनसंख्या लिंगानुपात.....	50
3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या.....	51
3.6.5 साक्षरता.....	52
3.6.6 कार्यशील जनसंख्या.....	52
3.6.7 जनसंख्या घनत्व.....	53
3.6.8 व्यवसायिक संरचना.....	55
3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन.....	56
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप.....	56
3.8 नगरीय विस्तार.....	56
3.9 अनुमानित जनसंख्या.....	57

3.10 गंदी बस्तियाँ.....	59
3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता.....	60
3.11.1 आवासों का प्रकार.....	61
3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना.....	61
3.13 भौतिक अधोसंरचना.....	62
3.13.1 जल प्रदाय.....	62
3.13.2 जल-मल निकास एवं स्वच्छता.....	62
3.13.3 वर्षा जल निकासी.....	63
3.13.4 विद्युत प्रदाय.....	63
3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.....	64
3.14 सामाजिक अधोसंरचना.....	64
3.14.1 शासकीय कार्यालय.....	64
3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ.....	64
3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ.....	65
3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान.....	65
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र.....	65
3.14.6 क्रीडांगन/ खेल परिसर.....	66
3.14.7 डेयरी फार्म/ पशु पालन.....	66
3.14.8 स्लॉटर हाउस.....	66
3.14.9 पिकनिक स्थल.....	67
3.14.10 अन्य सेवाएँ-सुविधाएँ.....	67
<b>अध्याय-4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना.....</b>	<b>69</b>
4.1 प्रस्तावित यातायात संरचना.....	69
4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति.....	69
4.2.1 सार्वजनिक परिवहन.....	70
4.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना.....	70
4.4 यातायात के प्रस्ताव.....	70
4.4.1 क्षेत्रीय मार्ग.....	70
4.4.2 मुख्य नगरीय मार्ग.....	71
4.4.3 खण्ड/ उपखण्ड स्तरीय मार्ग.....	73

4.4.4 स्थानीय मार्ग.....	73
4.4.5 प्रस्तावित मार्ग, सेक्शन एवं विकास के चरण.....	74
4.4.6 मार्ग संगमों का सुधार.....	75
4.4.7 रेलवे एवं ओव्हर ब्रिज.....	75
4.4.8 बस स्थानक एवं बस डिपो.....	75
4.4.9 हवाई पट्टी.....	76
4.4.10 क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन एवं टैक्सी स्टैण्ड.....	76
4.4.11 नगर बस अवसान केन्द्र.....	76
4.4.12 अवसान केन्द्र (माल).....	77
4.4.13 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर.....	77
4.4.14 प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्ग.....	77
4.4.15 वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग.....	78
<b>अध्याय—5 विकास योजना प्रस्ताव—2035 .....</b>	<b>79</b>
5.1 विकास योजना—2031 का पुनर्विलोकन.....	79
5.2 योजना अवधारणा.....	80
5.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल.....	80
5.3.1 निर्मित क्षेत्र.....	81
5.3.2 कृषि भूमि.....	82
5.3.3 जलाशय.....	82
5.3.4 खनन (माईनिंग) क्षेत्र.....	82
5.4 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....	82
5.5 भूमि उपयोग विवरण 2035.....	82
5.5.1 आवासीय.....	83
5.5.2 वाणिज्यिक.....	84
5.5.3 औद्योगिक.....	88
5.5.4 मिश्रित.....	89
5.5.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.....	89
5.5.6 सार्वजनिक सेवाएँ—सुविधाएँ.....	89
5.5.7 आमोद—प्रमोद.....	89
5.5.8 यातायात एवं परिवहन.....	90

5.5.9 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र.....	90
5.5.10 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग.....	93
5.6 अनौपचारिक वर्ग.....	93
<b>अध्याय—6 विकास नियमन.....</b>	<b>95</b>
6.1 प्रवृत्तशीलता.....	95
6.2 क्षेत्राधिकार.....	95
6.3 परिभाषाएँ.....	98
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र.....	98
6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र.....	103
6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र.....	106
6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र.....	110
6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र.....	110
6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र.....	110
6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड.....	111
6.5 अन्य नियमन.....	113
6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन.....	113
6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.....	113
6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.....	113
6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	113
6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक.....	114
6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक.....	114
6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल.....	115
6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड.....	115
6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग.....	115
6.5.10 मैरिज गार्डन.....	115
6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण भण्डपम/कम्युनिटी हाल.....	115
6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड.....	116
6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड.....	116
6.5.14 मल्टीप्लेक्स.....	116
6.5.15 उद्यान.....	116

6.5.16 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....	116
6.5.17 अन्य सुविधाएँ.....	117
6.6 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिक्षर.....	117
<b>अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन.....</b>	<b>131</b>
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन.....	131
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति.....	132
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....	133
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....	133
7.4.1 नियंत्रित विकास.....	134
7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....	134
7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.....	134
7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण.....	135
7.6 योजना एवं कार्यक्रम.....	135
7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....	136
7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम.....	136
7.8 संसाधन गतिशीलता.....	138
7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र.....	138
7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन.....	139
7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण.....	139
7.10 योजना की व्याख्या.....	139
अनुसूची.....	141
परिशिष्ट-एक.....	153
परिशिष्ट-दो.....	157
परिशिष्ट-तीन.....	161

## सारणी सूची

सारणी 1-सा-1	सिंगरौली से अन्य नगरों की दूरी	2
सारणी 1-सा-2	सिंगरौली निवेश क्षेत्र	7
सारणी 2-सा-1	उपग्रह चित्रों के मानक	17
सारणी 2-सा-2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस	18
सारणी 2-सा-3	जियो स्पेशियल डाटा	22
सारणी 2-सा-4	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा	23
सारणी 2-सा-5	सीमाओं का वर्गीकरण	25
सारणी 2-सा-6	ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	25
सारणी 2-सा-7	मृदा विश्लेषण	26
सारणी 2-सा-8	जलाशयों का वर्गीकरण	27
सारणी 2-सा-9	विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र	28
सारणी 2-सा-10	भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	31
सारणी 2-सा-11	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल	31
सारणी 2-सा-12	भूमि अवक्रमण	32
सारणी 2-सा-13	मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल	32
सारणी 2-सा-14	Weighted Index For Composite Land Suitability	35
सारणी 2-सा-15	Land Suitability Area	39
सारणी 3-सा-1	भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 पुस्तक अनुसार)	41
सारणी 3-सा-2	भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 मानचित्र अनुसार)	42
सारणी 3-सा-3	भूमि उपयोग उपांतरण	45
सारणी 3-सा-4	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	46
सारणी 3-सा-5	राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	47
सारणी 3-सा-6	वॉर्ड वार कुल जनसंख्या	48
सारणी 3-सा-7	वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात	50
सारणी 3-सा-8	शिशु जनसंख्या लिंगानुपात	51
सारणी 3-सा-9	अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या	51
सारणी 3-सा-10	साक्षरता प्रतिशत	52
सारणी 3-सा-11	सिंगरौली कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	53
सारणी 3-सा-12	जनसंख्या घनत्व	54
सारणी 3-सा-13	व्यवसायिक संरचना 2011	55
सारणी 3-सा-14	सिंगरौली जनसंख्या वृद्धि	56
सारणी 3-सा-15	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	57
सारणी 3-सा-16	अनुमानित जनसंख्या	57
सारणी 3-सा-17	गंदी बस्तियाँ	59
सारणी 3-सा-18	अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ	60
सारणी 3-सा-19	आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	61
सारणी 3-सा-20	विद्युत खपत	63
सारणी 4-सा-1	प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई	72
सारणी 4-सा-2	सिंगरौली: मार्ग सेक्शन	74

सारणी 5-सा-1	वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण	81
सारणी 5-सा-2	प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035	83
सारणी 5-सा-3	वाणिज्यिक गतिविधियाँ	85
सारणी 5-सा-4	स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना	88
सारणी 5-सा-5	जलाशयों का विकास	92
सारणी 5-सा-6	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	93
सारणी 6-सा-1	मुख्य उपयोग परिक्षेत्र	99
सारणी 6-सा-2	सिंगरौली: मुख्य उपयोग परिक्षेत्र	101
सारणी 6-सा-3	सिंगरौली: आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	104
सारणी 6-सा-4	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	105
सारणी 6-सा-5	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड	106
सारणी 6-सा-6	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	107
सारणी 6-सा-7	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	109
सारणी 6-सा-8	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन	111
सारणी 6-सा-9	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड	112
सारणी 6-सा-10	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	114
सारणी 6-सा-11	उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग	118
सारणी 7-सा-1	सिंगरौली: योजना क्रियान्वयन की लागत	132
सारणी 7-सा-2	प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक	136
सारणी 7-सा-3	सिंगरौली: प्रथम चरण लागत	137

### मानचित्र सूची

क्र.	मा. क्र.	शीर्षक	पृ. क्र.
1	1.1	Regional Setting	2A
2	1.2	Location Map of Planning Area	2B
3	1.3	Planning Area	12A
4	2.1	Building Footprint	24A
5	2.2	DEM	26A
6	2.3	Contour	26B
7	2.4	Slope Map	26C
8	2.5	Lithology	26D
9	2.6	Soil Texture Map	26E
10	2.7	Groundwater Prospects	26F
11	2.8	M.P. Earthquakes Zones	26G
12	2.9	Government Land	26H
13	2.10	Land Value	30A
14	2.11	Geomorphology Map	32A
15	2.12	Waterbody Buffer Map	32B
16	2.13	Land Degradation	32C
17	2.14	Road Buffer Map	32D
18	2.15	Land Suitability Map (Model-1)	40A
19	2.16	Land Suitability Map (Model-2)	40B
20	2.17	Land Suitability Map (Model-3)	40C
21	3.1	Ward Map	50A
22	3.2	Ward Wise Child Population (0-6)	50B
23	3.3	Ward Wise Sex Ratio	50C
24	3.4	Ward Wise Child Sex Ratio	52A
25	3.5	Ward Wise SC/ST Population	52B
26	3.6	Ward Wise Literacy	52C
27	3.7	Ward Wise Work Participation	54A
28	3.8	Ward Wise Population Density	56A
29	3.9	Urban Sprawl Map	58A
30	3.10	Existing Water Supply Network	62A
31	3.11	Existing Sewerage Network	64A
32	3.12	Existing Community Toilet	64B
33	3.13	Power Supply Network	64C
34	3.14	Existing ATM	66A
35	4.1	Existing Transport Network	70A
36	4.2	Existing Bus Stop	70B
37	4.3	Proposed Transport Network	78A
38	4.4	Proposed Transport Network Central Area	78B
39	5.1	Existing Landuse Map	82A
40	5.2	Mining/ Forest Area	82B
41	5.3	Proposed Landuse Map	92A
42	5.4	Proposed Landuse Map - Part -A	92B
43	5.5	Proposed Landuse Map - Part -B	92C
44	5.6	Proposed Landuse Map - Part -C	92D
45	7.1	First Phase Implementation	138A

## अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

### 1.1 नगर परिचय

#### 1.1.1 पृष्ठ भूमि

विंध्य प्रदेश में स्थित सिंगरौली प्राकृतिक वन एवं खनिज संपदा से भरपूर है। सिंगरौली क्षेत्र के भू-गर्भ में जब कोयले के अतुल भण्डार, वन संपदा एवं जल की प्रचुर मात्रा आदि ज्ञात हुई, तब सन् 1957 में रेलवे लाईन आने पर, अल्प पैमाने पर कोयला खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। 1963 से इस क्षेत्र से निकाला गया कोयला देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को निर्यात किया गया। उस समय प्रमाणित तकनीक के अनुसार माँग क्षेत्र के समीप उत्पादन संयंत्र स्थापित करना ज्यादा उचित समझा गया, ताकि विद्युत प्रवाह में होने वाले भारी व्यय एवं अनावश्यक परिवहन से बचा जा सके। इस नीति के तहत विद्युत संयंत्रों को निर्माण खनन क्षेत्रों के समीप ज्यादा मितव्ययी होने के उद्देश्य से सिंगरौली क्षेत्र को प्रमुख ऊर्जा उत्पाद केन्द्र हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। सिंगरौली विद्युत संयंत्रों की सम्मिलित उत्पादन क्षमता 20000 मेगावाट अनुमानित की गई। प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न, विद्युत उत्पादन के लिए कोयला एवं पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से अपनी क्षमता के अनुरूप अब राष्ट्रीय ऊर्जा राजधानी बनने के दृष्टिकोण से विकसित इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के सीधी जिले तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सन् 1965 में झिंगुरदा में कोयला खनन का कार्य किया गया। कालान्तर में इस क्षेत्र से कोयला उत्खनन का कार्य अधिक किए जाने की स्थिति में अनपरा तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शक्तिनगर एवं रिहन्द ताप विद्युत केन्द्र, बीजापुर उत्तर प्रदेश में, एवं विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए। उक्त तीनों सुपर थर्मल पावर केन्द्र रिहन्द नदी पर बनाए गए। गोविन्द वल्लभ पन्त सागर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना, जिसके कारण सिंगरौली क्षेत्र का विकास द्रुतगति से हुआ।

#### 1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित सिंगरौली सीधी जिला मुख्यालय से 108 किलोमीटर एवं संभागीय मुख्यालय रीवा से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जबलपुर, कटनी, चोपन (उ.प्र.), हावड़ा (कोलकाता) आदि नगरों से रेलपथ द्वारा जुड़ा हुआ है। सिंगरौली उत्तर में प्रयागराज (उ.प्र.), मिर्जापुर (उ.प्र.), बनारस (उ.प्र.), दक्षिण में शहडोल, अम्बिकापुर (छ.ग.), पूर्व में सोनभद्र (उ.प्र.) तथा पश्चिम में सीधी, रीवा से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह 24°06'28" उत्तरीय अक्षांश एवं 82°35'08" पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सिंगरौली समुद्र सतह से 300 मीटर की ऊँचाई पर स्थित होने के साथ ही लगभग 200 से 300 मीटर ऊँची पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। सिंगरौली से अन्य नगरों की दूरी का विवरण सारणी 1-सा-1 में दिया गया है।

## सिंगरौली से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1-सा-1

क्र.	समीपस्थ नगर	दूरी (कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	सोनभद्र (उ.प्र.)	75
2.	सीधी	108
3.	मिर्जापुर (उ.प्र.)	117
4.	ब्योहारी	172
5.	हनुमना	174
6.	रीवा	186
7.	अम्बिकापुर (छ.ग.)	199
8.	प्रयागराज (उ.प्र.)	249
9.	शहडोल	260

### 1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति


#### 1.2.1 भौतिक स्वरूप


##### 1.2.1.1 भू-आकृति

सिंगरौली क्षेत्र अत्याधिक उच्चावच क्षेत्र है, जिसमें रिहन्द बांध के पास तथा जलाशय के निचले क्षेत्र अत्याधिक अरागतल हैं। यहाँ पर किसी भी वृहद निर्माण के लिए समतल धरातल उपलब्ध नहीं है। कोयलाधारी क्षेत्र तथा जलाशय के बीच कहीं-कहीं छोटे से भाग में समतल मैदानी क्षेत्र मिलता है। यहां के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले का भण्डार है, जो कि वनों से आच्छादित है। बरगवों से गोविन्द बल्लभ पंत सागर तक का क्षेत्र पहाड़ियों एवं समतल मैदान से घिरा हुआ है।

##### 1.2.1.2 भू-गर्भीय संरचना

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें जमीन की सतह से 13 मीटर की गहराई तक बलुआ पत्थर का विस्तार पाया जाता है। यह क्षेत्र सामान्यतः भू-गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है। यहां पर रेतीली मिट्टी, सैल तथा चूने का पत्थर पाया जाता है। मुख्य रूप से सतही मिट्टी हल्के भूरे रंग की तथा नीचे पीले रंग की पायी जाती है, जिसकी गहराई 2 से 12 मीटर तक है। मिट्टी की ऊपरी सतह गीली होने पर चिपचिपी तथा निचली सतह रेतीली होती है।





Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

### 1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

सिंगरौली क्षेत्र की धरातलीय संरचना ऊँची-नीची होने के कारण प्राकृतिक प्रवाह नियमित नहीं है। कोयला धारी पठार के उत्तरी भाग की प्राकृतिक ढलान उत्तर पूर्व की ओर है, जिससे वर्षा का जल सहायक नदियों के माध्यम से सोन नदी में समाहित होता है। दक्षिण का भू-जल काँचन नदी में जाता है। यह नदी आगे चलकर मायर नदी में मिल जाती है, एवं प्रवाहित होते हुए अंत में गोविन्द वल्लभ पंत सागर में मिल जाती है।

### 1.2.3 खनिज संपदा एवं निर्माण सामग्री

सिंगरौली क्षेत्र खनिज संपदा का धनी है। यहां पर कोयला, वन संपदा तथा जल भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

#### 1.2.3.1 कोयला भण्डार

सिंगरौली क्षेत्र में 750 करोड़ मेट्रिक टन कोयले का अनुमानित भण्डार हैं, जिसमें से 270 करोड़ मेट्रिक टन खनन योग्य कोयला उपलब्ध है। दोहन योग्य कोयले के भण्डार की कुल चौड़ाई 24 से 46 मीटर है, तथा इस क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला निम्न तापीय दर का है, जिसमें राख की मात्रा अधिक रहती है।

#### 1.2.3.2 वनस्पति

सिंगरौली क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जिसमें मुख्यतः साल, सरई, धवा, तेंदू, साज, कहुआ, बहेरा, बाँस, खैर एवं ढाक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तथा मध्यम ऊँचाई के वृक्षों में आँवला, चार एवं खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। साल और साज मुख्यतः इमारती लकड़ी के लिए काम आते हैं, तथा बाँस का उपयोग कागज उत्पादन में किया जाता है।

#### 1.2.3.3 जल भण्डार

कोयला भण्डार से परिपूर्ण सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से रिहन्द नदी पर गोविन्द वल्लभ पंत सागर बांध का निर्माण किया गया। मूल रूप से 6.92 मिलियन वार्षिक क्षमता के लिए प्रकल्पित यह जलाशय इस क्षेत्र का एक मात्र जल स्रोत है।

#### 1.2.3.4 निर्माण सामग्री

सामान्यतः पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण सिंगरौली क्षेत्र के भवनों के निर्माण की संरचना कच्चे, अर्द्ध पक्के एवं पक्के मकानों के रूप में हैं। कच्चे मकानों के लिए इमारती लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तथा पक्के मकानों के लिए अन्य सामग्री के साथ-साथ सोन नदी एवं गोपद नदी में पर्याप्त मात्रा में उत्तम श्रेणी की रेत पाई जाती है, तथा पत्थर, पिन्डर, ताली एवं औड़ी मोड़ से प्राप्त किया जाता है। ईंटें स्थानीय तौर पर भी तैयार की जाती हैं। कुछ भवन सामग्री आस-पास के नगरों से भी मँगाई जाती है।

### 1.2.4 जलवायु

सिंगरौली क्षेत्र शुष्क एवं अत्याधिक गर्म जलवायु वाला है। यहाँ मार्च से जून तक गर्मी, जून से सितम्बर तक वर्षा, तथा नवम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है। सिंगरौली में गर्मी में अत्याधिक गर्मी एवं सर्दी में अत्याधिक सर्दी पड़ती है, अर्थात् मौसम की स्थिति काफी विषम रहती है। वर्षा ऋतु के उपरांत एवं शरद ऋतु के पूर्व का समय शीतल एवं मनोरम रहता है। ग्रीष्म (मई-जून) में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि शीत काल में नवम्बर से फरवरी के मध्य न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है।

### 1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नगर नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के सिद्धांतों के अनुरूप नियोजन की सतत प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में, नगर के विभिन्न आयामों में, विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सिंगरौली के औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या एवं भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार कर वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई थी, जो मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-78/2004/32 दिनांक 4.5.2005 के द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत अंगीकृत होकर, सूचना म.प्र. राजपत्र भाग-1 क्रमांक 823, दिनांक 20.5.2005 में प्रकाशन के दिनांक से लागू की गई।

सिंगरौली विकास योजना 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-26-2014-32 भोपाल दिनांक 16 मार्च 2015 को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 27 मार्च 2015 से प्रवर्तित कर प्रभावशील की गई।

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोग के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें सिंगरौली शहर भी सम्मिलित है। तदनुसार सिंगरौली नगर के औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 8.00 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है, एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

#### 1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, एवं विकास योजना तैयार करना अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। सिंगरौली विकास योजना तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिए गए हैं। सिंगरौली विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों/लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:

1. निवेश क्षेत्र में स्थित बसाहटों में परस्पर समन्वय एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य के निष्पादन हेतु अधोसंरचना का विकास।
2. बरगवाँ का औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकास।
3. मोरबा बसाहट को उत्खनन क्षेत्र से पृथक हरित पट्टी रखते हुए स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करना।
4. बैढ़न को प्रमुख वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।
5. बिलौजी, भटवा तथा घोड़ी को ग्रामीण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करना जिससे उनके प्रभाव न आने वाले संस्पर्शी क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।
6. निवेश क्षेत्र में अंतर बसाहट मार्ग संरचना का प्रावधान करना।
7. बेहतर रांपर्क के लिए बरगवाँ और बैढ़न को एक सहायक रेल लाइन के द्वारा जोड़ना।
8. क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तर पर सुविधाएँ विकसित करना।
9. बैढ़न को एक स्वतंत्र नगरीय इकाई के रूप में विकसित करना।
10. कोयला उत्खनन तथा ऊर्जा उत्पादन के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।
11. मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देना।

#### 1.5 निवेश क्षेत्र

सिंगरौली के विकास को सुनियोजित प्रतिरूप देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-123/32/97 भोपाल दिनांक 5 दिसंबर 1997 को सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन किया गया। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 65 ग्रामों सहित इसके समीपवर्ती सिंगरौली तहसील के 34 ग्राम, देवसर तहसील के 4 ग्राम तथा चितरंगी तहसील के 33 ग्राम, इस प्रकार कुल 71 ग्रामों को शामिल करते हुए सिंगरौली निवेश क्षेत्र गठित किया गया।

उद्योगों के बढ़ते हुए विकास, अंतराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादक कंपनियों, हवाई पट्टी का विकास, सासन पावर प्रोजेक्ट एवं एस्सार कंपनियों की स्थापना सिंगरौली के समीपवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण विकास गति में अधिक तीव्रता आई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सिंगरौली निवेश क्षेत्र में 63 ग्रामों को सम्मिलित किया गया, जिसका प्रकाशन म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 3-6-2009-32, दिनांक 4.2.2009 द्वारा किया गया, और इसको म.प्र. राजपत्र में दिनांक 6 मार्च 2009 को प्रकाशित

किया गया। इस प्रकार सिंगरौली विकास योजना 2031 में सिंगरौली नगर निगम के 65 ग्राम सहित ग्रामीण क्षेत्र के 134 ग्राम सम्मिलित कर कुल 199 ग्राम सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए, जिनका कुल क्षेत्रफल 86285.10 हेक्टेयर (862.85 वर्ग किलोमीटर) है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सिंगरौली नगर निगम सीमा में 220257 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 214287 व्यक्ति निवास करते थे। सिंगरौली निवेश क्षेत्र का विवरण सारणी 1-सा-2 में दिया गया है।

## सिंगरौली निवेश क्षेत्र

## सारणी 1-सा-2

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हि. में)	जनसंख्या 2011
1.	2.	3.	4.
(अ) नगर निगम क्षेत्र			
1.	कोलभरुआ	103.15	नगर निगम सीमा में शामिल
2.	सिंगरौलिया	305.57	—"
3.	हिरवाह	653.01	—"
4.	बिलौजी भटवा	214.19	—"
5.	पचौरी	37.60	—"
6.	पचौर	216.75	—"
7.	नौगढ़	718.92	—"
8.	तेलाई	168.01	—"
9.	देवरा	307.07	—"
10.	बैंढन (नगरीय)	198.03	—"
11.	गनियारी	793.46	—"
12.	विलौजी तेलियान	206.43	—"
13.	दसौती	109.65	—"
14.	कचनी	722.23	—"
15.	माजन कला	75.66	—"
16.	माजन खुर्द	124.23	—"
17.	पचखोरा	120.13	—"
18.	अमलोरी (नगरीय)	1314.89	—"
19.	भरुआ	668.10	—"
20.	नवानगर	418.24	—"
21.	मुहेर	2987.80	—"
22.	निगाही	937.40	—"
23.	परेवा	140.28	—"
24.	छानपाथर	82.57	—"
25.	घुरौली खुर्द	184.01	—"
26.	घुरौली कला	362.42	—"
27.	मुडवानी	351.91	—"
28.	गरदा	413.41	—"
29.	बनौली	505.40	—"
30.	सरसवाह राजा	319.73	—"
31.	कुशवई	469.25	—"

32.	पिंडरताली	491.54	--
33.	पंजरेह	645.14	--
34.	मढौली	3336.38	--
35.	चटका	208.79	--
36.	झिगुरदह	1996.28	--
37.	करुआरी	443.23	--
38.	दुधीचुआँ	1226.81	--
39.	चुरीदेह	633.19	--
40.	मझौली (वीरान)	2.14	--
41.	इटवा	155.67	--
42.	सरसवाह लाल	219.76	--
43.	पिपरा टोला (नगरीय)	130.69	--
44.	जैतपुर	307.91	--
45.	पिपराराजा टोला	78.86	--
46.	चंदुली (नगरीय)	299.33	--
47.	क्योटी	51.21	--
48.	मटवई	152.07	--
49.	जैनगर	322.35	--
50.	अमझर	403.30	--
51.	तेलगाँव	267.46	--
52.	गहिलगढ़ पूर्व	107.58	--
53.	पररना सरई	116.36	--
54.	गहिलगढ़ पश्चिम	151.25	--
55.	जुआँडी	302.85	--
56.	चंदावल	115.38	--
57.	सेमारिया	194.40	--
58.	देकी	77.99	--
59.	धुरीताल	143.21	--
60.	हरई पश्चिम	96.85	--
61.	हरई पूर्व	229.97	--
62.	दोटी	287.33	--
63.	किरकोली	9.35	--
64.	जमुआ	63.91	--
65.	बलियारी	1331.97	--
योग		26632.01	220257
(ब) ग्रामीण क्षेत्र			
1.	पिपराझाँपी	483.75	2725

2.	बुधेला	172.29	977
3.	गङ्गरिया	825.81	1721
4.	गुल्ली डाड	230.11	307
5.	तेलदह	790.09	3409
6.	चिनगी टोला	906.83	3236
7.	गदसा	247.38	871
8.	डिग्धी	190.29	646
9.	राजासरई	208.06	545
10.	हरैया	510.46	1171
11.	चोकरा	644.68	709
12.	पोडी नौगई	382.92	3390
13.	गडहरा	236.12	1115
14.	देवरी	141.32	928
15.	परसौना	103.49	1026
16.	काजन	49.18	283
17.	पडैनिया	35.58	305
18.	लूरी	41.31	344
19.	रजबाध	34.54	561
20.	जिन्हर	58.34	237
21.	खटखरी	261.15	3144
22.	खजुरी	287.04	1054
23.	कटौली	348.71	1544
24.	करकोसा	217.72	1194
25.	हरदी	118.42	1112
26.	कुशमहरा	92.26	722
27.	धतुराबरवा	178.65	931
28.	धतुरा पोखरा	117.09	677
29.	पडरी	2120.43	2116
30.	सौलंग	433.82	1760
31.	रजखण्ड	90.71	541
32.	सिंगाही	86.67	291
33.	दुरुआ	42.32	307
34.	चकुआर	163.01	191
35.	बरौहा	86.03	611
36.	भाडी	93.09	432
37.	कजी टोला	157.45	1077
38.	करहिया	38.05	270


39.	सहोखर	61.71	481
40.	ढेंकी	248.23	1434
41.	गहिलारा	302.73	2209
42.	जरौधी	142.85	1116
43.	जरौंधा	115.67	616
44.	ननिकचौरा	109.52	250
45.	खुटार	694.76	7211
46.	बडी सितूल	65.80	289
47.	बनौली	244.67	1233
48.	रक्की	83.46	118
49.	चूरी सानी	39.42	249
50.	अमरा	134.30	628
51.	चितरवई खुर्द	520.12	646
52.	अमिलवान	223.90	1373
53.	पिडखुरी	273.44	792
54.	सिगाही	286.34	1412
55.	खोखरी	755.78	1457
56.	सखोहा	610.38	3220
57.	कुबरी	94.51	370
58.	कथुरा	128.72	1345
59.	मधुरा	120.82	960
60.	प्रतापपुर	57.32	224
61.	सितूर खुर्द	241.89	1153
62.	जरहा	503.36	3213
63.	जेमूआ	488.26	463
64.	बधौरा	554.49	1642
65.	खैराही	1248.78	1840
66.	करसुआलाल	356.05	2475
67.	करसुआराजा	518.96	2845
68.	नगवा	842.50	4298
69.	चुरवाही	164.40	602
70.	धूनी	633.06	951
71.	बेतरिया	492.10	2584
72.	कोटिया	404.44	1154
73.	रैला	729.23	2639
74.	चौरा	272.53	981
75.	रजमिलान	826.46	6015

76.	रम्पा	599.94	1566
77.	घुडकुड	585.83	1673
78.	बसोडा	867.04	2718
79.	चौचर	859.65	3386
80.	नौढ़िया	189.04	377
81.	मझौली	535.29	2146
82.	परसदेही	695.46	1306
83.	तियरा	1846.96	4807
84.	विलासपुर	212.02	429
85.	काम	677.24	3543
86.	पिपरा	331.28	5782
87.	दूसाखांड	376.44	1369
88.	पतुलखी	311.36	जलप्लावित क्षेत्र
89.	सासन	617.45	2026
90.	गडहरा	241.44	1115
91.	सिद्धीखुर्द	1102.98	2817
92.	सिद्धीकला	924.76	2636
93.	हरहवा	2152.40	5151
94.	अमरहा	1099.97	2539
95.	झाँझी टोला	544.20	1202
96.	कुल्हुई	146.74	675
97.	मलगा	315.12	1528
98.	कनई	511.72	1802
99.	डगा	693.30	3328
100.	बरगवाँ	214.91	3435
101.	बरहवा टोला	545.04	3420
102.	चतरी	937.50	2362
103.	चुरकी	2826.12	5449
104.	कन्हुड	262.80	753
105.	खिरवाह	1471.54	3990
106.	फठास	131.50	476
107.	टिकरी टोला	180.47	496
108.	करैला	706.38	3350
109.	गोरबी	1701.98	2369
110.	नौढ़िया	573.62	6533
111.	फुलझर	35.57	89
112.	इगुरा	132.89	346

113.	लोटान	482.18	987
114.	कसर	621.95	3145
115.	महदेइया	323.92	1520
116.	हरइया	42.18	321
117.	रामगढ़	67.03	419
118.	बस्ताली आबाद	19.94	177
119.	बस्ताली वीरान	45.61	96
120.	उसका	141.37	465
121.	जमुअल	57.56	84
122.	सेमुआर	453.05	1418
123.	अंजनी	103.12	408
124.	पाली	157.62	500
125.	खरकटा	243.94	1398
126.	गांगी	216.33	482
127.	बरहटी	324.01	1259
128.	भोंडार	527.74	1794
129.	बरमानी	306.06	1616
130.	गोंदवाली	803.26	4228
131.	चकदादर	2.48	गोंदवाली में सम्मिलित है
132.	दादर	557.15	1001
133.	रमपुरवा	203.17	671
134.	भालुगढ़	779.34	2840
<b>योग</b>		<b>57453.09</b>	<b>214287</b>
<b>निवेश क्षेत्र का महायोग (अ+ब)</b>		<b>86285.10</b>	<b>434544</b>
<b>निवेश क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल (जी.आई.एस. पद्धति गणना अनुसार)</b>		<b>82650.03</b>	

स्त्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

**टीप:** सिंगरोली निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना-2031 जी.आई.एस. पद्धति से ही तैयार की गई, परन्तु विकास योजना के निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 86285.10 हेक्टेयर अंकित किया गया था। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 82650.03 हेक्टेयर प्राप्त होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 82650.03 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।



### 1.5.1 नगर निगम क्षेत्र

सिंगरौली क्षेत्र के विकास को सुनियोजित रूप दिए जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1975 में साडा का गठन किया गया था, जिसमें 133 ग्राम सम्मिलित किये गये थे। साडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गनियारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नवजीवन विहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैण्ड बैडन, कार्यालय परिषद् आदि का विकास किया गया। वर्ष 1995 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा साडा विघटित किया जाकर 27 मई 1995 को नगर निगम सिंगरौली की स्थापना की गई। इसमें प्रथमतः 80 ग्रामों को सम्मिलित किया गया तथा 20 मार्च 1996 को 15 ग्रामों को पृथक कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 65 ग्राम ही रह गए, जो 288.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

## अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

### 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। नगर की बसाहट एवं उसका विस्तार होने से संलग्न भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भूमि उपयोग/प्रयोजन परिवर्तन होता है। पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का अव्यवस्थित फैलाव का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का दबाव है। सिंगरौली नगर में वर्तमान परिपेक्ष्य में अधोसंरचना सुविधाओं की कमी हुई है। प्रदेश के मध्य श्रेणी के प्रमुख नगरों में से एक सिंगरौली नगर तेजी से विकसित हो रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग, सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यक संशोधन जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है।

सिंगरौली एवं आसपास का क्षेत्र अपार खनिज संपदा में संपन्न होने से कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत संयंत्र के स्थापित होने के पश्चात्, सिंगरौली देश-विदेश में ख्याति प्राप्त कर ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। सिंगरौली के जिला मुख्यालय होने से आसपास स्थित उपक्षेत्र की आबादी को समाहित करने हेतु यहां संसाधन उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय संदर्भ में आसपास स्थित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। सिंगरौली नगर रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135-सी से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। पॉलीटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है। शैक्षणिक संस्थाओं तथा प्रमुख सिंचाई योजना के कार्य प्रारंभ होने एवं इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण निवेश क्षेत्र के सुनियोजित भावी विकास हेतु विकास योजना तैयार की गई है।

भारत सरकार, आवासन और शहरी मार्ग मंत्रालय द्वारा “Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएँ, अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, शहरी एवं ग्रामीण परिवहन, सुरक्षित हरित क्षेत्र इत्यादि, एवं सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करने, जिससे विशेषतया गरीबों, वंचितों और सभी के जीवन स्तर में सुधार हो, प्रदान करने हेतु की गई। इस योजना की उपयोग के अन्तर्गत मध्य-प्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिए गए

ह। इन पद्धतियों का नूतन उपयोग संकल्प तथा प्रयोग प्रकार का आकड़ा का संकल्प तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इनके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों के अनुसार प्रयोजन व गतिविधियों को प्रस्तावित करने में, तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

### 2.1.1 अमृत योजना

“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना की उपयोग के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गार्ड लाईन के मानकों को समाहित करना।

### 2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक का विवरण सारणी 2-सा-1 में दर्शाए गए हैं।

## उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2-सा-1

S. No.	Description	Value	Remarks
1.	2.	3.	4.
1.	Spatial Resolution	0.5 metres or better	
2.	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3.	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4.	Radiometry	10 bit or better	
5.	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6.	Monoscopic/ Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data View angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of upto 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height(B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7.	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho - kit data with RPCs

स्रोत: एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

### 2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लासेस एवं सब-क्लासेस (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है जो कि सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है।

## स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

सारणी 2-सा-2

S. No.	Spatial Layers	Source for spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	Road			
	Bridges			
	Water Bodies			
2.	Urban Land Use/ Land Cover	Very high resolution satellite data	22	48
3.	Building Footprints	Very high resolution satellite data	16	46
4.	Digital Elevation Model (DEM) Type: Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5.	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6.	Boundaries			
	Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1
	Hazard Prone Areas	NHDC, Department of Seismology	1	

स्रोत: एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

### 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय विकास हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना है। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो कि विद्यमान है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे कि बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने में नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव

भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर रखे जाएँ। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

- **धरातल विशेषताएँ:** भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।
- **भूमि उपयोग वितरण:** नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, आदि, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।
- **जनसंख्या विशेषताएँ:** आयु समूह, लिंगानुपात, आर्बजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।
- **आर्थिक गतिविधियाँ:** कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।
- **यातायात विशेषताएँ:** वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधाएँ एवं यातायात संरचना।
- **आवास विशेषताएँ:** उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रीय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।
- **सार्वजनिक सेवाएँ:** पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मल निकास प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ
- **सार्वजनिक सुविधाएँ:** शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक/पूजा/अर्चना स्थल।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें यू.आर.डी.पी.एफ.आई. लाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

### 2.2.1 उद्देश्य


भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना: वर्ल्ड व्यू II (World View II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी से, जो श्रेणी II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हों।

- बसाहट के विस्तार का मानचित्र: विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर नगर का विकास क्रमशः किस विभिन्न समयावधि में हुआ है, उसका मानचित्र तैयार करना।
- संपूर्ण सिंगरौली नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
- नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना, एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

जनगणना के आँकड़े: सिंगरौली निवेश क्षेत्र एवं सिंगरौली नगर निगम का गठन वर्ष 1991-2001 के बीच किया गया। अतः अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है।

### 2.2.2 कार्यप्रणाली

सिंगरौली नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली नीचे दी गई है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर. एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार है:



### 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए। इन आँकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

#### 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

### 2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2-सा-3 में दर्शाया गया है।

#### जियो स्पेशियल डाटा

#### सारणी 2-सा-3

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	01-09	Road	Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village Road
	01-16		Foot Path
2.	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across River

### 2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सिंगरौली शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में उल्लेखित है।

## बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2-सा-4


S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
2.	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3.	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4.	09-01	Mixed	Residential, Commercial & Public Semi Public
5.	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwadi
			College
6.	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/ Dispensary
7.	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8.	13-01	State Govt. Property	Office
9.	15-02	Public & Semi- public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium/ Burial Ground /Graveyard
	15-09		Guesthouse/ Resthouse
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/ Community Toilet
15-28	Old Age Home		

	15-30		Fire Station
10.	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/ Math/ Bhojanshala
11.	17-01	Recreational	Garden
12.	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13.	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14.	24-01	Transportation	Bus stand/ Terminus
15.	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16.	26-02	Rural	House
	26-03		Group of Houses
17.	33-09	Others	Farm House
	33-10		Dairy Farm
	33-17		Gaushala

### 2.3.1.3 ग्राम/वॉर्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगर निगम से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर निगम सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर सिंगरौली निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में उल्लेखित है।



## सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

### 2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2-सा-6 में दिया गया है।

### ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-6

S. No.	Slope	Area (Ha.)
1.	2.	3.
1.	0-1	35577.89
2.	1-3	21349.20
3.	3-5	9533.02
4.	5-10	10998.14
5.	10-15	3005.99
6.	15-35	2183.62
7.	>35	2.17
Total		82650.03

स्रोत: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया।

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्रोत एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया। इससे मिट्टी का संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया। मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2-सा-7 में है।

### मृदा विश्लेषण

सारणी 2-सा-7

S. No.	Soil Texture	Area (Ha)
1.	2.	3.
1.	Coarse Loamy	8462.46
2.	Fine	13347.03
3.	Fine Loamy	23703.03
4.	Habitation Mask	3767.58
5.	Loamy	22832.25
6.	Loamy Skeletal	7116.47
7.	Waterbody Mask	3421.21
<b>Total</b>		<b>82650.03</b>


स्रोत: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण


### 2.3.1.6 बाढ़ आपदा


इस जानकारी हेतु ढलान तथा जलाशय मानचित्र से प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निर्धारण कर मानचित्र तैयार किया गया।


### 2.3.1.7 जलाशय


वर्ल्डव्यू-II (World View) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सिंगरौली शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-8 में उल्लेखित है।




















## जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-8

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-08		Island (River/ Lake)
	05-09		Reservoir

स्रोत: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रैक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया।

सिंगरौली क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र छोटे, मध्यम एवं बृहद फ्रैक्चर परिक्षेत्र, मिट्टी की स्थिति तथा भूगर्भीय फॉल्ट्स का अध्ययन एवं विश्लेषण कर तैयार किया गया। सिंगरौली निवेश क्षेत्र भूकम्प तीव्रता की दृष्टि से ज़ोन में वर्गीकृत किया गया है।

### 2.3.1.9 शसकीय भूमि

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित शसकीय भूमि का विवरण मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शित है।

### 2.3.1.10 भूमि मूल्य

मध्य-प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई, एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया। सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम सिंगरौली में 45 वॉर्ड सम्मिलित हैं। जिला पंजीयक विभाग सिंगरौली से प्राप्त जानकारी सारणी 2-सा-9 में दर्शाई गई है।

विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2018-19)


सारणी 2-सा-9

Ward No.	Ward Name	Plot (sqm.)			Building Residential (sqm)						Building Commercial (sqm)				Building Multi (sqm)			Agriculture Land Plot (hectare/ sqm)		
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	7.	8.	Tin Shade	Kaccha Kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Unirrigated	Irrigated	15.	16.	17.	18.
1.	Gautam Buddha Ward	2900	4350	2900	11900	10900	8900	6900	17850	15850	15850	10900	11900	3240000	1710000	2900	4350	5200	7800	7800
2.	Laxmi Bai Ward	3200	4800	3200	12200	11200	9200	7200	18300	16300	16300	11200	12200	5377000	2830000	3700	4800	5300	7950	7950
3.	Indrapuri Ward	4200	6300	4200	13200	12200	10200	8200	19800	17800	17800	12200	13200	6935000	3650000	4200	6300	4200	6700	6700
4.	Talstey Ward	4700	7050	4700	13700	12700	10700	8700	20550	18550	18550	12700	13700	6175000	3250000	4700	7050	9400	14100	14100
5.	Ahilya Ward	4700	7050	4700	13700	12700	10700	8700	20550	18550	18550	12700	13700	6156000	3240000	4700	7050	9400	14100	14100
6.	Prathwari Ward	3700	5550	3700	12700	11700	9700	7700	19050	17050	17050	11700	12700	3325000	1750000	3700	5550	4900	7350	7350
7.	Kabir Ward	3100	4650	3100	12100	11100	9100	7100	18150	16150	16150	11100	12100	6175000	3250000	3100	4650	4700	7050	7050
8.	Ajmita Ward	6600	9000	6000	15000	14000	12000	10000	22500	20500	20500	14000	15000	6213000	3270000	6000	9000	6000	9000	9000
9.	Tagore Ward	6200	9300	6200	15200	14200	12200	10200	22800	20800	20800	14200	15200	6213000	3270000	6200	9300	6200	9300	9300
10.	Tansen Ward	6300	9450	6300	15300	14300	12300	10300	20950	20950	20950	14300	15300	7125000	3750000	6300	9450	6300	9450	9450
11.	Dayanand Ward	5800	8700	5800	14800	13800	11800	9800	22200	20200	20200	13800	14800	3277500	1725000	5800	8700	5800	8700	8700
12.	Madhuvan Ward	4700	7050	4700	13700	12700	10700	8700	20550	18550	18550	12700	13700	4085000	2150000	4700	7050	4700	7050	7050
13.	Vikas Ward	4700	7050	4700	13700	12700	10700	8700	20550	18550	18550	12700	13700	4132500	2175000	4700	7050	4700	7050	7050
14.	Sulochna Ward	4900	7350	4900	13900	12900	10900	8900	20850	18850	18850	12900	13900	3800000	2000000	4900	7350	4900	7350	7350
15.	Nutan Ward	4700	7050	4700	13700	12700	10700	8700	20550	18550	18550	12700	13700	3800000	2000000	4700	7050	4700	7050	7050

16.	Anusuya Ward	4800	7200	4800	13800	12800	10800	8800	20700	18700	18700	12800	13800	4275000	2250000	4800	7200
17.	Pragati Ward	7800	11700	7800	16800	15800	13800	11800	25200	23200	23200	15800	16800	6270000	3300000	7800	11700
18.	Sudarshan Ward	4800	12600	4800	17400	16400	14400	12400	26100	24100	24100	16400	17400	3458000	1820000	4800	7200
19.	Mahatma Gandhi Ward	4900	7350	4900	13900	12900	10900	8900	20850	18850	18850	13900	13900	5130000	2700000	4900	7350
20.	Ambekar Ward	8400	12600	8400	17400	16400	14400	12400	26100	24100	24100	16400	17400	3467500	1825000	8400	12600
21.	Bhagat Singh Ward	4500	6750	4500	13500	12500	10500	8500	20250	18250	18250	12500	13500	3467500	1825000	4500	6750
22.	Maharana Pratap Ward	7800	11700	7800	16800	15800	13800	11800	25200	23200	23200	15800	16800	5149000	2710000	7800	11700
23.	Shiva Ward	2700	4050	2700	11200	10700	8700	6700	17550	15550	15550	10700	11200	4180000	2200000	2700	4050
24.	Bhagat Singh Ward	4700	7050	4700	13200	12200	10200	8200	19800	17800	17800	12200	13200	6270000	3300000	4700	7050
25.	Maharana Pratap Ward	8400	12600	8400	17400	16400	14400	12400	26100	24100	24100	16400	17400	4940000	2600000	8400	12600
26.	Shiva Ward	4700	7050	4700	13200	12200	10200	8200	19800	17800	17800	12200	13200	6270000	3300000	4700	7050
27.	Shubhash Chand Ward	4935	7403	4935	13935	12935	10935	8935	20900	18900	18900	12935	13935	3470625	1968750	4935	7403
28.	Ashok Ward	8820	13230	8820	17820	16820	14820	12820	26700	24700	24700	16820	17820	5625900	2961000	8820	13230
29.	Akbar Ward	5000	7500	5000	14000	13000	11000	9000	21000	19000	19000	13000	14000	6156000	3240000	5000	7500
30.	Chanakya Ward	8500	12750	8500	17500	16500	14500	12500	26250	24250	24250	16500	17500	8930000	4700000	8500	12750
31.	Tilak Ward	4700	7050	4700	13200	12200	10200	8200	19800	17800	17800	12200	13200	6270000	3300000	4700	7050
32.	Neharu Ward	4800	7200	4800	13800	12800	10800	8800	20700	18700	18700	12800	13800	5557500	2925000	4800	7200
33.	Maudana Ward	8900	13350	8900	17900	16900	14900	12900	26850	24850	24850	16900	17900	8265000	4350000	8900	13350
34.	Ekta Ward	6000	9000	6000	15000	14000	12000	10000	22500	20500	20500	14000	15000	8075000	4250000	6000	9000
35.	Ashok Ward	8800	13200	8800	17800	16800	14800	12800	26700	24700	24700	16800	17800	11780000	6200000	8800	13200
36.	Ashok Ward	7300	10950	7300	16300	15300	13300	11300	24450	22450	22450	15300	16300	9500000	5000000	7300	10950
37.	Akbar Ward	14300	21450	14300	23300	22300	20300	18300	34950	32950	32950	22300	23300	14440000	7600000	14300	21450
38.	Chanakya Ward	7300	10950	7300	16300	15300	13300	11300	24450	22450	22450	15300	16300	9405000	4950000	7300	10950
39.	Tilak Ward	14000	21000	14000	23000	22000	20000	18000	34500	32500	32500	22000	23000	14250000	7500000	14000	21000
40.	Tilak Ward	7560	11340	7560	15560	14560	12560	10560	24800	22800	22800	14560	15560	9775000	5037000	7560	11340
41.	Neharu Ward	14700	22050	14700	23700	22700	20700	18700	33500	31500	31500	20700	21700	14250000	7500000	14700	22050
42.	Maudana Ward	8500	12750	8500	17500	16500	14500	12500	26250	24250	24250	16500	17500	8500000	4500000	8500	12750
43.	Ekta Ward	13500	20250	13500	22500	21500	19500	17500	33750	31750	31750	21500	22500	8569000	5410000	13500	20250
44.	Neharu Ward	6300	9450	6300	15300	14300	12300	10300	22950	20950	20950	14300	15300	5842500	3075000	6300	9450
45.	Maudana Ward	11500	17250	11500	20500	19500	17500	15500	30750	28750	28750	19500	20500	8550000	4500000	11500	17250
46.	Ekta Ward	6200	9300	6200	15200	14200	12200	10200	22800	20800	20800	14200	15200	5605000	2950000	6200	9300
47.	Ekta Ward	10700	10050	10700	16700	15700	13700	11700	25550	23550	23550	15700	16700	8436000	4440000	10700	10050
48.	Ekta Ward	6700	10050	6700	15700	14700	12700	10700	23550	21550	21550	14700	15700	6251000	3290000	6700	10050
49.	Ekta Ward	13500	20250	13500	22500	21500	19500	17500	33750	31750	31750	21500	22500	9405000	4950000	13500	20250

35.	Surya Ward	6800	10200	6800	15800	14800	12800	10800	23700	21700	21700	14800	15800	6270000	33000000	6800	40200
36.	Lal Bahadur Ward	6300	9450	6300	15300	14300	12330	10300	22950	20950	20950	14300	15300	4275000	22500000	6300	9450
37.	Deen Dayal Ward	6515	9923	6615	15615	14615	12615	10615	23400	21400	21400	14600	16300	6184500	3250000	6615	9923
38.	Tulsi Ward	7770	11655	7770	16770	15770	13770	11770	25200	23200	23200	15600	18100	7780500	4095000	7770	11655
39.	Rajiv Ward	8800	13200	8800	17800	16800	14800	12800	26700	24700	24700	16800	17800	10260000	54000000	8800	13200
40.	Aadarsh Ward	9400	14100	9400	18400	17400	15400	13400	27600	25600	25600	17400	18400	10279000	54100000	9400	14100
41.	Indira Ward	8400	12600	8400	17400	16400	14400	12400	26100	24100	24100	16400	17400	9215000	48500000	8400	12600
42.	Sardar Wallabh Bhai Ward	9500	14250	9500	18500	17500	15500	13500	27750	25750	25750	17500	18500	8550000	45000000	9500	14250
43.	Vivekanand Ward	5000	7500	5000	14000	13000	11000	9000	21000	19000	19000	13000	14000	4750000	25000000	5000	7500
44.	Azad Ward	5200	7800	5200	14200	13200	11200	9200	21300	19300	19300	13200	14200	4940000	26000000	5200	7800
45.	Vinobha Ward	6200	9300	6200	15200	14200	12200	10200	22500	20800	20800	14200	15200	8645000	45500000	6200	9300
		11500	17250	11500	20560	19500	17500	15500	30750	28750	28750	19500	20500	13300000	70000000	11500	17250

स्त्रोत: जिला पंजीयक कार्यालय सिंगरौली



### 2.3.1.11 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

सिंगरौली निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेंडीप्लेन तथा शेष भाग विच्छेदित पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। यह जानकारी सारणी 2-सा-10 में दर्शाई गई है।

#### भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-10

S. No.	Geomorphology	Area (Ha.)
1.	2.	3.
1.	Active Quarry	6412.33
2.	Abandoned Quarry	152.33
3.	Dam and Reservoir	3502.72
4.	Butte	12.47
5.	Gullied Land	1841.72
6.	Hill	497.34
7.	inselberg	29.03
8.	Lateral Bar	114.04
9.	Pediment	33886.00
10.	Pediplain	30448.54
11.	Point Bar	49.38
12.	Moderately Dissected Hills and Valleys	5704.13
Total		82650.03

स्रोत: भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.3.1.12 जल स्रोत बफर

जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2-सा-11 में दर्शाई गई है।

#### जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-11

क्र.	बफर (मी. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	60	437.88	23.76
2.	45	450.14	24.44
3.	30	464.94	25.24
4.	15	489.33	26.56
कुल		1842.29	100

स्रोत: भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.3.1.13 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

सिंगरौली निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2-सा-12 में दर्शाई गई है।

#### भूमि अवक्रमण

सारणी 2-सा-12

S. No.	Land Degradation Class	Area (Ha.)
1.	2.	3.
1.	Mining & Dump Areas	6482.37
2.	Sheet - Moderate	5218.02
3.	Sheet - Severe	4833.98
4.	Gullies	72.06
<b>Total</b>		<b>16606.43</b>

स्रोत: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.3.1.14 मार्ग संरचना बफर


मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विभिन्न निवेश इकाईयों को समन्वित करती है। सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं 135-सी पर स्थित है जो शहर को सीधी, प्रयागराज, रीवा एवं शहडोल से जोड़ते हैं। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन मार्गों को सम्मिलित किया गया है, एवं बफर जोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गए हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी सारणी 2-सा-13 में दर्शाई गई है।


#### मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल


सारणी 2-सा-13

क्र.	मार्ग बफर (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	100	4662.81	21.34
2.	200	4487.14	20.53
3.	500	12702.83	58.13
4.	>500	—	—
<b>कुल</b>		<b>21852.78</b>	<b>100</b>

स्रोत: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण









### 2.3.1.15 रेलवे स्टेशन

सिंगरौली रेलवे स्टेशन एवं बरगवाँ रेलवे स्टेशन कटनी – जमशेदपुर लाईन पर स्थित हैं। यहाँ से कटनी, राँची एवं टाटानगर के लिये यात्री रेल सेवा मेल एवं पैसेन्जर गाड़ियों द्वारा उपलब्ध है।

### 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर पिछा है तो ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया, जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। सिंगरौली नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा, विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वॉर्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

#### 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2-सा-14 में दिया गया है।

### Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2-सा-14

#### [Model-1]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1.	2.	3.	4.	5.
1	Land Use	25	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	1
4			Wasteland	8
5			Forest	1
6			Water Body	1
1	Geomorphology	20	Badland	1
2			Fluvial Older Alluvial Plain	9
3			Water Body	1
1	Ground Water Prospects	10	Moderate To Poor	4
2			Excellent	9
3			Water Bodies	1
1	Soil Texture	05	Fine Loamy	9
2			Fine	7
3			Water Bodies	1
4			Builtup	1
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	10	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	5
1	Land Value	10	2800-10000	9
2			10000-25000	8
3			25000-40000	7
4			40000-55000	6
5			55000-70000	5
6			70000-85000	4

**[Model-2]**

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1.	2.	3.	4.	5.
1	Land Use	20	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	1
4			Wasteland	8
5			Forest	1
6			Waterbody	1
1	Geomorphology	10	Badland	1
2			Fluvial - Older Alluvial Plain	9
3			Waterbody	1
1	Ground Water Prospects	10	Moderate To Poor	4
2			Excellent	9
3			Water Bodies	1
1	Soil Texture	05	Fine Loamy	9
2			Fine	7
3			Water Bodies	1
4			Builtup	1
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	10	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	5
1	Land Value	10	2800-10000	9
2			10000-25000	8
3			25000-40000	7
4			40000 55000	6
5			55000-70000	5
6			70000-85000	4

**[Model-3]**

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1.	2.	3.	4.	5.
1	Land Use	14	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	1
4			Wasteland	8
5			Forest	1
6			Waterbody	1
1	Geomorphology	12	Badland	1
2			Fluvial - Older Alluvial Plain	9
3			Waterbody	1
1	Ground Water Prospects	12	Moderate To Poor	4
2			Excellent	9
3			Water Bodies	1
1	Soil Texture	12	Fine Loamy	9
2			Fine	7
3			Water Bodies	1
4			Builtup	1
1	Road Buffer	14	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	12	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	12	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	5
1	Land Value	12	2800-10000	9
2			10000-25000	8
3			25000-40000	7
4			40000-55000	6
5			55000-70000	5
6			70000-85000	4

स्रोत: भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

**टीप:** भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डिविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है। अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 4 श्रेणियों में विभाजित है।

## Land Suitability Area

सारणी 2-सा-15

## [Model-1]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1.	2.	3.
Highly Suitable	25033.25	30.29
Moderately Suitable	37162.03	44.96
Less Suitable	14258.25	17.25
Not Suitable	6196.50	7.50
<b>Grand Total</b>	<b>82650.03</b>	<b>100.00</b>

## [Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1.	2.	3.
Highly Suitable	17241.03	20.86
Moderately Suitable	43667.25	52.83
Less Suitable	19449.00	23.53
Not Suitable	2292.75	2.78
<b>Grand Total</b>	<b>82650.03</b>	<b>100.00</b>

## [Model-3]


Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1.	2.	3.
Highly Suitable	11961.00	14.47
Moderately Suitable	52782.03	63.86
Less Suitable	15702.03	19.00
Not Suitable	2204.97	2.67
<b>Grand Total</b>	<b>82650.03</b>	<b>100.00</b>


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2 सा- 15 में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-3] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 64743.03 हेक्टेयर (78.33 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-3] का चयन अंतिम रूप से सिंगरौली विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया। यह देखा गया है कि उपयुक्त क्षेत्र पूर्वी, उत्तरपूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी में विस्तारित है, एवं नगर का आगामी विकास इन दिशाओं में होना उपयुक्त है।


## 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित यू.आर.डी.पी.एफ. आई. गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सिंगरौली निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।







### अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

#### 3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य

सिंगरौली विकास योजना 2031 में क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर नागरिकों की सक्रीय सहभागिता अर्जित किया जाना है। वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना का मध्यावधि पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है। विकास योजना 2031 मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं के प्रबन्धन के अभाव में प्रभावित हुई:-

1. मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना।
2. नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए स्थानीय निकाय के पास संसाधनों की पर्याप्त रूप से एवं समय पर अनुपलब्धता।
3. निवेश के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव।
4. पर्यावरण सुधार के लिए प्रबंधन का अभाव।
5. योजना क्रियान्वयन का सतत पर्यवेक्षण न होना।
6. विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के विपरीत विकास/ निर्माण।

#### 3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 पुस्तक अनुसार)

सारणी 3-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग का प्रकार	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हे. में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हे. में)	उच्चावचन/ निम्नावन (+)/(-)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आवासीय	4960.30	2952.63	(+) 2007.67	59.53
2.	वाणिज्यिक	600.00	88.14	(+) 511.86	14.69
3.	औद्योगिक	2987.67	2160.50	(+) 827.17	72.31
4.	मिश्रित	-	101.81	(-) 101.81	-
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ - सुविधाएँ	680.00	404.96	(+) 275.04	59.55
6.	आनोद-प्रमोद	656.90	209.20	(+) 447.70	31.85
7.	यातायात एवं परिवहन	2360.00	1865.00	(+) 495.00	79.03
	योग	12244.87	7782.24	(+) 4462.63	63.56

वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि निवेश क्षेत्र में कुल 7782.24 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है। सिंगरौली विकास योजना 2031 में प्रस्तावित विकास हेतु 15214.16 हेक्टेयर भूमि निहित थी। वर्ष 2012 के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार नगर में 6223.00 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र था। अर्थात् गत 7 वर्षों में मात्र 1559.24 हे. भूमि का विकास हुआ है। उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3-सा-1 एवं 3-सा-2 में दर्शाया गया है।

**भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 मानचित्र अनुसार)**

**सारणी 3-सा-2**

क्र.	भूमि उपयोग का प्रकार	विकास योजना 2031 मानचित्र अनुसार क्षेत्र (हे. में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हे. में)	उच्चावचन/ निम्नावन (+)/(-)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आवासीय	7471.62	2952.63	(+) 4518.99	39.52
2.	वाणिज्यिक	643.24	88.14	(+) 555.10	13.70
3.	औद्योगिक	2323.58	2160.50	(+) 163.08	92.98
4.	मिश्रित	—	101.81	(-) 101.81	—
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ - सुविधाएँ	659.21	404.96	(+) 254.26	61.43
6.	आमोद-प्रमोद	1743.93	209.20	(+) 1534.73	12.00
7.	यातायात एवं परिवहन	2372.58	1865.00	(+) 507.57	78.61
	<b>योग</b>	<b>15214.16</b>	<b>7782.24</b>	<b>(+) 7431.92</b>	<b>51.15</b>

टीप: सारणी 3-सा-1 में विकास योजना 2031 की पुस्तक अनुसार विभिन्न भूमि उपयोगों का क्षेत्रफल कॉलम-3 में दिया गया है, परन्तु वास्तविक क्षेत्रफल मानचित्र अनुसार सारणी 3-सा-2 के कॉलम-3 में उल्लेखित है, तदनुसार विकास योजना 2035 में भूमि उपयोगों के क्षेत्रफलों का विश्लेषण किया गया है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 51.15 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। कुछ भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 4.34 लाख है। निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2019) 5.18 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 15.03 हेक्टेयर है।

### 3.2.1 आवासाय

विकास योजना 2031 में 7471.62 हेक्टेयर भूमि आवासीय क्षेत्र में विकसित करना प्रस्तावित था, जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 2952.63 हेक्टेयर भूमि का आवासीय विकास हुआ है, जो कि 39.52 प्रतिशत है। नगर के लिए विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सिंगरौली विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन संस्था है। अतः यह स्पष्ट है कि सिंगरौली नगर का विकास तीव्रगति से हो रहा है। शहरी गरीबों हेतु आई.एच.एस.डी.पी. योजनांतर्गत नगर निगम द्वारा मोरवा में 200 एवं बैढ़न में 100 आवास का निर्माण किया गया।

### 3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2031 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 0.80 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के लिये 643.24 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 88.14 हे. भूमि का विकास हुआ। योजना में विशिष्ट वाणिज्यिक विकास केन्द्रों हेतु 147.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। वाणिज्यिक क्षेत्र का अधिकांश विकास प्रमुख मार्गों पर, एवं पुराने आवासीय उपयोग की भूमि को वाणिज्यिक रूप में परिवर्तित करने से हुआ है। यू.आर.डी.पी. एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 4 से 6 प्रतिशत भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है।

### 3.2.3 औद्योगिक

उच्चकोटि का कोयला एवं जल संसाधन के अतुल भण्डार को अपने गर्भ में संजोए ऊर्जाधानी के नाम से ख्याति प्राप्त सिंगरौली में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्युत संयंत्रों से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण नगरीय समूह में विकास हुआ है। विकास योजना 2031 में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कुल 2323.58 हेक्टेयर भूमि के विकास की परिकल्पना के आधार पर प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें से 2160.50 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, जो कि 92.98 प्रतिशत आता है। इसमें से मुख्यतः ग्राम सिध्दी खुर्द एवं हरहवा में नगर निगम द्वारा औद्योगिक विकास पूर्ण किया गया। क्षेत्र में 163.08 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि का विकास होना शेष है। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.83 प्रतिशत थी। यू.आर.डी.पी.एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 7 से 9 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है।

### 3.2.4 मिश्रित

विकास योजना 2031 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु 2019 की स्थिति में 101.81 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग में विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड आवश्यक हैं।

### 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ—सुविधाएँ

विकास योजना 2031 में क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय एवं उपखण्ड स्तरीय गतिविधियों के विकास हेतु 659.21 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 404.96 हेक्टेयर

भूमि पर इस उपयोग के अन्तर्गत विकास हुआ है, जो कि 61.43 प्रतिशत है। 254.26 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास होना शेष है। प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ-सुविधाएँ की भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.49 प्रतिशत थी।

### 3.2.6 आमोद-प्रमोद

नगरीय सौन्दर्यीकरण को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2031 में 1743.93 हे. भूमि के अंतर्गत उद्यान, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 209.20 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 12.00 प्रतिशत है। 1534.73 हेक्टेयर आमोद-प्रमोद क्षेत्र का विकास होना शेष है। प्रस्तावित आमोद-प्रमोद भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.88 प्रतिशत थी। बैढन बस स्टेण्ड तथा विन्ध्यनगर में थाने के समीप नगर निगम द्वारा पार्क का विकास किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संलग्न भूमि पर स्टेडियम का विकास भी पूर्ण हो गया है।

### 3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2031 में 2372.58 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1865.00 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 78.61 प्रतिशत है। प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 16.16 प्रतिशत थी। नगर निगम द्वारा ग्राम मेढौली में 4.00 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित मैकेनिक नगर का विकास किया जा चुका है।

### 3.3 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिए किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। सिंगरौली विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2036 तक की कालावधि के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा, विकास योजना प्रस्ताव के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

### 3.4 अधिनियम की धारा 23-क(1) के अंतर्गत उपांतरण

म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत सिंगरौली विकास योजना 2031 में ग्राम बैढन एवं गनियारी में पुनर्वर्धनत्पीकरण योजना हेतु प्रस्तावित स्थल के कुल रकबे 5.473 हेक्टेयर में से 3.36 हे.

का प्रस्तावित भू-उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, वर्तमान आवासीय, वर्तमान मार्ग आदि उपयोगों को यथानुरूप उपांतरित कर वाणिज्यिक एवं मार्ग किया गया। म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना को राजपत्र में दिनांक 25 सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया। उपांतरित भूमि का वर्णन सारणी 3-सा-3 में दिया गया है।

### भूमि उपयोग उपांतरण

#### सारणी 3-सा-3

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	बैढ़न	247	1.093	सार्वजनिक एवं अर्द्ध	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2.	बैढ़न	248	0.471	सार्वजनिक + वर्तमान	वाणिज्यिक एवं मार्ग
3.	बैढ़न	254 / 2	1.376	मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
कुल			2.94 में से 1.12		
4.	गनियारी	817	0.373	वर्तमान आवासीय +	वाणिज्यिक एवं मार्ग
5.	गनियारी	819 / 2	0.498	वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
6.	गनियारी	822	0.534	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
7.	गनियारी	823	0.890 में से 0.597	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
8.	गनियारी	824 / 1	0.032	प्रस्तावित आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक
9.	गनियारी	824 / 2	0.093		वाणिज्यिक
10.	गनियारी	824 / 3	0.032		वाणिज्यिक
11.	गनियारी	824 / 5	0.081		वाणिज्यिक
कुल			2.533 में से 2.24		
योग			3.36		

स्रोत: म.प्र. राजपत्र भाग-1 पृ.क्र. 3610 दिनांक 25 सितंबर 2020

### 3.5 असंगत भूमि उपयोग

विभिन्न गतिविधियों के पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्ताव सारणी 3-सा-4 में दर्शाए गए हैं।

### असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

सारणी 3-सा-4

क्र.	वर्तमान भू-उपयोग	वर्तमान स्थिति	समस्या का प्रकार	प्रस्तावित स्थल
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बरगवाँ दाल मिल एवं आरामशीन	बरगवाँ बस स्टेण्ड के पास	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवाँ
2.	अनाज/सॉ-मिल	जमुआ ग्राम	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी
3.	दोटी एसीटलनी गेस प्लांट	नवजीवन विहार के पास	आवासीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी
4.	दाल मिल	बैढ़न सिंचाई कार्यालय के पीछे	ध्वनि प्रदूषण	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी
5.	आरा मशीन	भरतसिंह कॉलोनी मेढौली, दुधीचुआँ रोड	ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवाँ
6.	आरा मशीन	सर्किट हाउस रोड मेढौली	ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवाँ
7.	वेयर हाउस	बाली गाँव थाने के पास	पर्यावरण समस्या	बैढ़न बस स्टेण्ड के पास
8.	आवासीय बस्ती	पावर कोरीडोर एवं कोयला खनिज धारी क्षेत्र	आकस्मिक भावी दुर्घटना की संभावना	कोल धारित क्षेत्र मरोबा, पावर कॉरीडोर का प्रभार क्षेत्र
9.	ग्राम खजुरी, कटौली, सिंगरौलिया	प्रस्तावित हवाई पट्टी क्षेत्रांतर्गत	दुर्घटना की संभावना	ग्राम हिरवाह के आवासीय परिसर से संलग्न
10.	ग्राम मेढौली एवं पंजरेह में संचालित उद्योग	मेढौली, पंजरेह	पर्यावरण एवं ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कुशवई
11.	मोहन छविगृह	बैढ़न सघन आबादी क्षेत्र	-	नवजीवन विहार के पास

### 3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

#### 3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण

सिंगरौली नगर मध्यप्रदेश राज्य के रीवा संभाग का एक जिला मुख्यालय है। सिंगरौली के निकटस्थ छः अन्य जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण सारणी 3-सा-5 में दर्शाया गया है।

#### राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3-सा-5

क्र.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या-2011	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मध्यप्रदेश (राज्य)	72626809	37612306	35014503	931
2.	रीवा	2365106	1225100	1140006	931
3.	सतना	2228935	1157495	1071440	926
4.	सिंगरौली	1178273	613637	564636	921
5.	सीधी	1127033	575912	551121	957
6.	शहडोल	1066063	540021	526042	975
7.	अनुपपूर	749237	379114	370123	977
8.	उमरिया	644758	330674	314084	950

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

सिंगरौली जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1178273 थी। सिंगरौली नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0-6 वर्ष के बालक-बालिका) की जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3-सा-6 में दिए गए हैं।

## सारणी 3-सा-6

Ward	Population			Child Population (06)			SC Population			ST Population			Literates		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	2758	2545	5303	490	477	967	314	280	594	1710	1577	3287	1489	901	2390
2.	2533	2288	4821	412	395	807	512	486	998	684	640	1324	1463	855	2318
3.	2489	2210	4699	308	285	593	147	135	282	133	129	262	1926	1531	3457
4.	2440	2190	4630	294	243	537	416	379	795	167	189	356	1871	1474	3345
5.	2549	2227	4776	324	267	591	395	338	733	330	305	635	1999	1433	3432
6.	1539	1420	2959	210	200	410	153	139	292	405	407	812	988	731	1719
7.	1324	1271	2595	220	225	445	500	498	998	130	135	265	827	551	1378
8.	2479	2253	4732	319	332	651	316	297	613	53	51	104	1935	1524	3459
9.	3187	2860	6047	450	398	848	90	83	173	245	244	489	2346	1792	4138
10.	2546	2389	4935	401	433	834	284	249	533	943	942	1885	1571	908	2479
11.	1669	1443	3112	177	152	329	270	245	515	258	227	485	1329	897	2226
12.	2095	1804	3899	367	339	706	165	120	285	470	455	925	1082	628	1710
13.	2202	1912	4114	261	214	475	185	138	323	304	300	604	1673	1213	2886
14.	1218	1068	2286	88	89	177	128	115	243	75	76	151	1081	840	1921
15.	2585	2201	4786	302	256	558	152	139	291	168	153	321	2085	1460	3545
16.	1770	1580	3350	149	108	257	215	187	402	133	120	253	1567	1239	2806
17.	2043	1730	3773	238	211	449	190	152	342	286	265	551	1568	1104	2672
18.	2675	2427	5102	243	208	451	355	322	677	279	251	530	2162	1707	3869
19.	2997	2762	5759	232	211	443	460	435	895	159	143	302	2649	2116	4765
20.	2973	2630	5603	478	424	902	543	533	1076	157	133	290	2081	1393	3474
21.	2816	2576	5392	367	325	692	834	772	1606	75	79	154	2075	1471	3546

सिमाशैली विकास योजना 2035																
22.	2750	2469	5219	248	219	467	203	194	397	118	103	221	2286	1722	4008	
23.	3753	3337	7090	411	363	774	573	523	1096	326	296	622	2936	2107	5043	
24.	2273	1915	4188	353	288	641	81	70	151	422	376	798	1662	1142	2804	
25.	2737	2363	5100	418	364	782	438	415	853	198	170	368	1881	1101	2982	
26.	1986	1738	3724	210	185	395	286	263	549	102	75	177	1617	1110	2727	
27.	1377	1302	2679	111	79	190	94	89	183	55	51	106	1217	1060	2277	
28.	3154	2947	6101	486	446	952	685	693	1378	137	144	281	1841	1148	2989	
29.	2521	2300	4821	385	340	725	294	263	557	43	36	79	1557	947	2504	
30.	3427	3062	6489	510	489	999	487	483	970	79	67	146	2435	1512	3947	
31.	2754	2525	5279	401	385	786	508	503	1011	44	37	81	2040	1455	3495	
32.	3636	3031	6667	526	381	907	389	311	700	268	235	503	2698	1895	4593	
33.	2994	2855	5849	526	515	1041	1106	1060	2166	154	145	299	1858	1142	3000	
34.	2643	2352	4995	227	180	407	283	235	518	145	111	256	2335	2010	4345	
35.	2005	1540	3545	153	123	276	158	138	296	136	138	274	1812	1328	3140	
36.	3055	2298	5353	417	411	828	364	285	649	420	365	785	1936	940	2876	
37.	2787	2397	5184	431	350	781	567	514	1081	80	81	161	1880	1071	2951	
38.	2339	2039	4378	340	305	645	198	180	378	105	110	215	1720	1123	2843	
39.	3217	2927	6144	545	476	1021	232	222	454	235	225	460	2097	1486	3583	
40.	3531	2926	6457	442	376	818	284	284	568	137	105	242	2827	2045	4872	
41.	4070	3675	7745	621	554	1175	275	281	556	38	21	59	2976	2193	5169	
42.	2266	1826	4092	264	233	497	152	117	269	84	71	155	1785	1183	2968	
43.	2977	2639	5616	541	503	1044	436	381	817	204	181	385	1857	915	2772	
44.	2105	1693	3798	294	294	588	187	134	321	109	52	161	1424	742	2166	
45.	3523	3448	7071	637	601	1238	469	478	947	563	543	1106	2234	1325	3559	
<b>Total</b>	<b>115867</b>	<b>103390</b>	<b>220257</b>	<b>15827</b>	<b>14252</b>	<b>30079</b>	<b>15373</b>	<b>14158</b>	<b>29531</b>	<b>11366</b>	<b>10559</b>	<b>21925</b>	<b>84678</b>	<b>58470</b>	<b>143148</b>	

स्त्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात

सिंगरौली नगर निगम के वॉर्ड क्रमांक 1, 2, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 33, 39, 41 एवं 45 में लिंगानुपात 900 से अधिक था, तथा वॉर्ड क्रमांक 35 एवं 36 में लिंगानुपात 800 से भी कम था। वॉर्ड क्रमांक 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43 एवं 44 में लिंगानुपात 800 से 900 के बीच था। जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3-सा-7 में दिया गया है।

#### वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात


सारणी 3-सा-7

क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	901-1000	1, 2, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 45	17
2.	801-900	3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44	26
3.	701-800	35, 36	2
<b>योग</b>			<b>45</b>

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.3 शिशु जनसंख्या लिंगानुपात


सिंगरौली शहर का लिंगानुपात 885 था, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 900 था। सिंगरौली में शिशु जनसंख्या लिंगानुपात वॉर्ड क्रमांक 7, 8, 10 एवं 14 में सबसे अधिक, तथा वॉर्ड क्रमांक 16, 27, 32 एवं 34 के अन्तर्गत सबसे कम था। शिशु जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3-सा-8 में दिया गया है।




286

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal  
Source: Nagar Palika Parishad





### शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा-8

क्र.	शिशु जनसंख्या (0-6) लिंगानुपात	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>1000	7, 8, 10, 14	4
2.	901-1000	1, 2, 3, 6, 12, 19, 28, 30, 31, 33, 36, 43, 44, 45	14
3.	801-900	4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42	23
4.	701-800	16, 27, 32, 34	4
योग			45

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

#### 3.8.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

सिंगरौली में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 23.36 प्रतिशत थी। उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित थी, किन्तु वॉर्ड क्रमांक 1 में उक्त श्रेणी की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत से अधिक एवं वॉर्ड क्रमांक 9, 27, 41, 42 में कुल जनसंख्या के 11 प्रतिशत से भी कम थी। अनुसूचित जाति/जनजाति का विवरण सारणी 3-सा-9 में दिया गया है।

#### अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

सारणी 3-सा-9

क्र.	अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>70	1	1
2.	31-50	2, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 33	8
3.	11-30	3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45	32
4.	<11	9, 27, 41, 42	4
योग			45

स्त्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.5 साक्षरता

सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में साक्षरता दर 65 प्रतिशत थी। शहर के वॉर्ड क्रमांक 1, 2, 7, 10, 12, 28, 29, 33, 36, 43, 45 में साक्षरता दर सबसे कम, एवं वॉर्ड क्रमांक 34, 35 में अधिक थी। साक्षरता का विवरण सारणी 3-सा-10 में दिया गया है।

#### साक्षरता प्रतिशत


#### सारणी 3-सा-10

क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>85	34, 35	2
2.	71-85	3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 40, 42	16
3.	56-70	6, 9, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 44	16
4.	55 तक	1, 2, 7, 10, 12, 28, 29, 33, 36, 43, 45	11
<b>योग</b>			<b>45</b>


स्त्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.6 कार्यशील जनसंख्या

सिंगरौली नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों (कार्य सहभागिता) की संख्या के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार कार्यशील थे। सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वॉर्ड क्रमांक 36, 12, 24, 28, 35 एवं सबसे कम प्रतिशत वॉर्ड क्रमांक 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 में प्राप्त हुआ था। सिंगरौली में प्रमुख व्यवसायिक कार्य के तौर पर दुकानों में पूजन सामग्री, माला, प्रसाद, मूर्तियाँ, फोटो, धार्मिक पुस्तकें, भोजनालय तथा होटल आदि की संख्या अधिक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3-सा-11 में दर्शाया गया है।



291





### सिंगरौली कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3-सा-11

क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>40	36	1
2.	36-40	12, 24, 28, 35	4
3.	30-35	1, 2, 6, 13, 17, 18, 21, 29, 32, 33, 34, 38, 45	13
4.	<30	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44	27
<b>योग</b>			<b>45</b>

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011


#### 3.6.7 जनसंख्या घनत्व

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढलान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण मध्यम है। शहर की वॉर्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-12 में दिया गया है।

## जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा-12

क्र.	वॉर्ड का नाम	वॉर्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	जनसंख्या वर्ष 2011	घनत्व
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गौतम बुद्ध वॉर्ड	8.1	5309	655
2.	लक्ष्मीबाई वॉर्ड	11.2	4827	431
3.	इन्द्रपुरी वॉर्ड	5.1	4709	923
4.	टालस्टाय वॉर्ड	4.6	4636	1008
5.	अहिल्या बाई वॉर्ड	6.5	4779	735
6.	पृथ्वीराज वॉर्ड	6.3	2965	471
7.	कबीर वॉर्ड	4.2	2596	618
8.	अजामिल वॉर्ड	7.2	4741	658
9.	टैगोर वॉर्ड	7.3	6050	829
10.	तानसेन वॉर्ड	9.1	4943	543
11.	दयानंद वॉर्ड	20.1	3117	155
12.	मधुवन वॉर्ड	6.2	3903	630
13.	विकास वॉर्ड	4.7	3647	776
14.	सुलोचना वॉर्ड	3.5	2761	789
15.	अनुसूईयां वॉर्ड	6.3	3351	532
16.	सुदर्शन वॉर्ड	6.3	5107	811
17.	महात्मा गांधी वॉर्ड	4.7	5762	1226
18.	अम्बेडकर वॉर्ड	2.2	5617	2553
19.	भगत सिंह वॉर्ड	4.5	5392	1198
20.	महाराणा प्रताप वॉर्ड	3.0	5227	1742
21.	शिवाजी वॉर्ड	4.4	7092	1612
22.	कालिंग वॉर्ड	2.1	4067	1937
23.	उपवन वॉर्ड	2.0	5107	2554
24.	नालन्दा वॉर्ड	4.0	3771	943
25.	सुभाषचन्द्र वॉर्ड	3.1	2682	865
26.	अशोक वॉर्ड	4.2	6046	1440
27.	अकबर वॉर्ड	3.6	4826	1341
28.	चाणक्य वॉर्ड	5.2	6493	1249
29.	तिलक वॉर्ड	5.1	5281	1035



30.	नेहरु वॉर्ड	3.2	6669	2084
31.	मौलाना वॉर्ड	1.9	5858	3083
32.	नूतन वॉर्ड	2.4	4793	1997
33.	प्रगति वॉर्ड	1.6	3775	2359
34.	सूर्या वॉर्ड	4.3	3547	825
35.	एकता वॉर्ड	4.9	4994	1019
36.	लालबहादुर शास्त्री वॉर्ड	5.6	5348	955
37.	दीनदयाल वॉर्ड	36.7	5184	141
38.	तुलसी वॉर्ड	15.9	4383	276
39.	राजीव वॉर्ड	5.8	6148	1060
40.	आदर्श वॉर्ड	2.5	6462	2585
41.	इंदिरा गांधी वॉर्ड	7.9	7744	980
42.	सरदार वल्लभ भाई वॉर्ड	2.5	4099	1640
43.	विवेकानंद वॉर्ड	5.9	5609	951
44.	आजाद वॉर्ड	6.5	3802	585
45.	विनोबा वॉर्ड	8.4	7076	842
<b>योग</b>		<b>288.32</b>	<b>220257</b>	<b>785</b>

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.8 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सिंगरौली नगर में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 303 थी। व्यवसायिक संरचना का विवरण सारणी 3-सा-13 में दिया गया है।

#### व्यवसायिक संरचना 2011

सारणी 3-सा-13

क्र.	श्रेणी/वर्ग	क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कृषक	6096	9.14	28
2.	खेतीहर मजदूर	5505	8.25	25
3.	गृह उद्योग	1903	2.85	9
4.	अन्य मजदूर	53199	79.76	242
<b>योग</b>		<b>66703</b>	<b>100.0</b>	<b>303</b>

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिंगरौली नगर की औसतन दशकीय जनसंख्या में 18.94 प्रतिशत वृद्धि 2001 से 2011 के दशक में पाई गई। सारणी 3-सा-14 में नगर की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि दर्शाई गई है।

#### सिंगरौली जनसंख्या वृद्धि

सारणी 3-सा-14

वर्ष	जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र	वृद्धि दर	जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र	वृद्धि दर	जनसंख्या निवेश क्षेत्र	वृद्धि दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2001	185190		163959		349149	
2011	220257	18.94	214287	30.69	434544	24.00

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011


### 3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तथा विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का निर्धारण किया जा सकता है। इस परिवेश में सिंगरौली नगर के वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन किया गया है, जो निम्नानुसार है:

1. कोयला भण्डारण, उत्खनन एवं समुचित दोहन।
2. ताप विद्युत उत्पादन।
3. जिला स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना।
4. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास।
5. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास।
6. औद्योगिक विकास।
7. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन।

### 3.8 नगरीय विस्तार

सिंगरौली निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकासक्रम एवं दिशा दर्शाई गई है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3-सा-15 में स्पष्ट किया गया है। सारणी में दर्शाया गया है कि नगर विकास/विस्तार का क्रम वर्ष 2010 के संपन्न विस्तार की तुलना में वर्ष 2011-2019 की समयावधि में अधिक था, जिसका प्रमुख कारण सिंगरौली शहर में हुए विकास कार्य थे।



242

### नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3-सा-15

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे. में.)	विस्तार प्रतिशत
1.	2.	3.	4.
1.	2010 तक	3540	—
2.	2011-2015	3677	3.87
3.	2015-2019	3807	7.54

### 3.9 अनुमानित जनसंख्या





#### अनुमानित जनसंख्या


सारणी 3-सा-16

वर्ष	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	घातांकीय पद्धति
1.	2.	3.	4.
2021	519939	540825	540825
2031	605334	673101	673101
2035	639492	734665	734665

सन् 2035 की भावी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु वर्ष 2001 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्रित कर विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर (I) अंकगणितीय वृद्धि पद्धति (II) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (III) घातांकीय पद्धति प्रगणित की गई है।

सारणी 3-सा-16 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संपूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2035 की जनसंख्या 734665 अनुमानित है। घातांकीय, अंकगणितीय एवं ज्यामितीय पद्धतियों में  $R^2$  ( $R$  squared) का मान क्रमशः 0.9901, 1 तथा 0.9901 है। सांख्यिकी के अभाव में अंकगणितीय पद्धति में  $R^2$  का मान 1 प्राप्त हुआ, परन्तु घातांकीय एवं ज्यामितीय पद्धतियों द्वारा अनुमानित जनसंख्या अधिक है। निवेश क्षेत्र में समाहित नगर समूह बैड़न, बरगवाँ, मोरबा एवं रजमिलान आदि के विकसित होने, राष्ट्रीय स्तर की ताप विद्युत उत्पादन कम्पनियों एस्सार, सासन पावर एवं विंध्याचल थर्मल पावर जैसी वृहद् औद्योगिक इकाईयों के संचालन, एवं निवेश क्षेत्र से संलग्न महान कोल परियोजना, हिन्डालको कम्पनियों की स्थापना तथा सिंगरौली जिला मुख्यालय होने से भावी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से क्षेत्रीय जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, सिंगरौली निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 8.0 लाख होने की संभावना के आधार पर विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2031 की विकास योजना भी 8.0 लाख की प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर तैयार की गई थी, किन्तु विकास की दर एवं जनसंख्या वृद्धि अनुमान के अनुसार कम होने से वर्ष 2035 की विकास योजना 8.0 लाख की ही प्रक्षेपित जनसंख्या हेतु तैयार की जा रही है।





## 3.10 गंदी बस्तियाँ

## गंदी बस्तियाँ

## सारणी 3-सा-17

क्र.	वॉर्ड क्र.	गंदी बस्ती का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1	कुशवई	6.00	299	2807
2.	2	निगाही टोला	2.50	42	216
3.	3	जगमोरबा बस्ती	0.80	40	210
4.	4	सी.ई.टी.आई. के पूर्व की बस्ती	1.05	272	1360
5.	5	चन्द्रपुर, हरिजन बस्ती भूसा मोड़	1.73	209	736
6.	7	कोईरानी टोला चटका ग्रामीण बस्ती चटका झुग्गी बस्ती	2.60	311	2300
7.	9	नई बस्ती	0.60	61	210
8.	10	तानसेन वार्ड	1.60	82	2610
9.	14	सरसवाह बस्ती	1.50	276	1781
10.	19	हरिजन बस्ती बनौली	0.20	176	9710
11.	20	हरिजन बस्ती इटमा	0.40	56	311
12.	26	कचनी	4.00	848	4005
13.	27	चन्द्रमा टोला	2.50	421	1560
14.	28	माजन कला, माजन खुर्द	1.20	306	1455
15.	29	ढेकी, हरई पश्चिम	2.00	355	3650
16.	30	स्वीपर बस्ती	2.80	15	60
17.	31	पुनर्वास कालोनी	0.50	430	1260
18.	36	जुआंडी, तेलगवां, जयनगर	2.00	750	3900
19.	37	चन्द्रावल सेमरिया	0.50	55	330
20.	38	छोटी पुरानी बस्ती बलियारी हरिजन बस्ती	1.10	60	370
21.	39	केवटान मोहल्ला	1.80	58	350
22.	41	पहाड़ी टोला गनियारी हरिजन बस्ती चौरा टोला गनियारी	2.90	147	828
23.	42	बसोर बस्ती, बिलौजी तेलियन बस्ती	1.90	133	641
24.	43	हिरवाह पूर्व टोला	0.70	391	1470
25.	44	पचौर पुरानी बस्ती	1.60	600	3000
26.	45	नौगढ़ हरिजन बस्ती	3.00	450	2500
योग			47.48	6843	47630

स्रोत: नगर निगम सिगरौली 2011

मूलभूत नियम सेवा-सुविधाओं रहित क्षेत्र जहाँ पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर में 38 बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया। यह बस्तियाँ लगभग 47.48 हेक्टेयर भूमि पर स्थित होकर इनमें लगभग 47630 निवासी पाए गए। गंदी बस्तियों की जानकारी सारणी 3-सा-17 में दी गई है।

### 3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है। जनगणना 2011 के अनुसार सिंगरौली निवेश क्षेत्र में 88972 परिवार निवास करते थे, एवं औसत परिवार आकार 4.88 व्यक्ति था। नगर में 6843 झुग्गी-झोपड़ियाँ, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गईं। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 8.0 लाख के लिए परिवार आकार 4.5 व्यक्ति के आधार पर आवासीय इकाईयों का अनुमान लगाया गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-18 में दर्शाया गया है।

#### अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ

सारणी 3-सा-18

क्र.	विवरण	2011	2035 (अनुमानित)
1.	2.	3.	4.
1.	जनसंख्या	434544	800000
2.	अतिरिक्त जनसंख्या		365456
3.	औसत परिवार का आकार	4.88	4.50
4.	अतिरिक्त परिवार		81213
5.	वर्ष 2035 में 80 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता		64970
6.	वर्ष 2011 की आवासीय कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता		71813
7.	निवास योग्य रहवास इकाईयों की पुनर्स्थापना		7181
कुल आवास आवश्यकता			78994

उक्त अध्ययन के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक 78994, अर्थात् लगभग 79000 निवन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।

2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुर्नउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

### 3.11.1 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 79000 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिपेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जाए। अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण सारणी 3-सा-19 में दिया गया है।

#### आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

सारणी 3-सा-19

क्र.	आय समूह	आवास आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	40	31600
2.	निम्न आय वर्ग	30	23700
3.	मध्यम आय वर्ग	25	19750
4.	उच्च आय वर्ग	5	3950
<b>योग</b>		<b>100</b>	<b>79000</b>

उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 60 आवासीय इकाई प्रति हे. के मान से लगभग 1316.67 हे. भूमि की आवश्यकता होगी।

### 3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सिंगरौली निवेश क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 351 थी। वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है। इस संबंध में पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है। तथापि उपलब्ध

ऑकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 360 व्यक्ति कार्यरत होंगे।

### 3.13 भौतिक अधोसंरचना

#### 3.13.1 जल प्रदाय

सिंगरौली (बैढ़न) से नगर में जल वितरण किया जाता है। काँचन नदी सिंगरौली से 3 की. मी. एवं गोविन्द बल्लभ पंत सागर 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नगर में ट्यूबवेलों की संख्या 35 है, तथा कुल 45 वॉर्डों में 9 शिरोपरी टंकियाँ हैं। ट्यूबवेलों के माध्यम से 1.5 घंटे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर के मान से 88.7 लाख लीटर जल नगर निगम कुल 325 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 900 कनेक्शन के द्वारा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नगर में 2490 हैण्डपम्प हैं, जिनके माध्यम से नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति होती है। सिंगरौली नगर का भू-जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है।


यू.आर.डी.पी.एफ.आई. के मान से 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। नगर की वर्ष 2035 तक की पेयजल आवश्यकता 120 एम.एल.डी. अनुमानित की गई है। नगर निगम द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (UIDSSMT) एवं अमृत योजना के अन्तर्गत जलप्रदाय परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के क्रियान्वयन द्वारा भूमिगत जल स्रोत की क्षमता बढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है। गोविन्द बल्लभ पंत सागर जलाशय जल का समीपस्थ तथा स्थाई स्रोत है, जहाँ से पाईप लाईन द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था की जा सकती है।

#### 3.13.2 जल-मल निकास एवं स्वच्छता

वर्तमान में जल-मल निकासी हेतु नगर में 50 कि. मी. लम्बा सीवरेज नेटवर्क है, परन्तु यह केवल 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैला हुआ है, और सिर्फ 40000 जनसंख्या के लिए ही उपयुक्त है। 50 कि. मी. में से 32 कि. मी. नेटवर्क भूमिगत है।

नगर के 8404 परिवार पाईप सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, 13709 परिवारों के आवास में सेप्टिक टैंक हैं, एवं 12400 परिवारों के आवास गृह में पिट शौचालय हैं। इनके अतिरिक्त नगर में 14 सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जिनमें से 8 पे एंड यूज की तर्ज पर संचालित हैं। सिंगरौली में 6 दूषित जल उपचार संयंत्र हैं। नगर में प्रतिदिन 32 एम. एल. डी. जल-मल निकास होता है, जिसमें से सिर्फ 26 एम. एल. डी. का ही शुद्धिकरण होता है। अतः योजनाकाल तथा वर्तमान जनसंख्या हेतु भूमिगत जल-मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु जल-मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जल स्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। जल-मल निकास आवश्यकता की पूर्ति हेतु सीवरेज नेटवर्क की लम्बाई बढ़ाना तथा बैढ़न में जल-मल शोधन संयंत्र प्रस्तावित है।

शहर में जल-मल निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:



1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों/भवनों में शौचालय
2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था
3. शुद्धिकृत गंदे पानी का पुनः उपयोग
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सःशुल्क शौचालय
5. नगर में एकत्रित मल का उपयोग शोधन विधि से उपचार उपरान्त खाद के रूप में कृषि कार्य हेतु किया जाना।

### 3.13.3 वर्षा जल निकासी

वर्षा जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ काँचन नदी एवं अन्य नालों से होता हुआ गोविन्द वल्लभ पंत सागर में मिल जाता है। नगर में नालियों की कुल लंबाई 524 कि. मी. है, जो 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिसमें से 25 कि. मी. ढंकी नालियाँ हैं। जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा-कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस-पास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई, तथा प्राकृतिक नालों के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है।

### 3.13.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में सिंगरौली नगर से 8 कि.मी. की दूरी पर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का सब स्टेशन स्थापित है, जिससे विद्युत आपूर्ति की जाती है। सारणी 3-सा-20 में क्षेत्र की विद्युत खपत दर्शाई गई है।

#### विद्युत खपत

सारणी 3-सा-20

प्रकार	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
विद्युत कनेक्शन	25860	5031	220	3897	409	35417
विद्युत खपत (KWH)	42.50	14.62	2.61	8.44	15.23	83.40

स्रोत: मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बैडन 2018

सिंगरौली नगर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ वाणिज्यिक एवं आवासीय आबादी का विस्तार होगा, जिसके लिए विद्युत उपभोग में निरन्तर वृद्धि होने की संभावना है। सिंगरौली में विद्युतचल सुपर थर्मल पावर प्लान्ट पूर्व से ही संचालित है, तथा एस्सार एवं

सासन पावर जैसी राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों के विद्युत उत्पादन एवं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के माध्यम से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

### 3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट एक अवांछित पदार्थ है, जो रहवासी क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं व्यापार केन्द्रों, कृषि, उद्योगों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। नगर में आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की वृद्धि एवं विकास होने से ठोस अपशिष्ट का नगर के विभिन्न खुले क्षेत्रों में निस्तारण कर दिया जाता है, जो पर्यावरण एवं नगरवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

नगर में प्रतिदिन लगभग 50 टन अपशिष्ट 40000 घरों से डोर-टू-डोर माध्यम से संग्रहित कर भरण स्थल में निस्तारित किया जाता है। यह भरण स्थल 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 14 सफाई निरीक्षक, 3 स्वास्थ्य सहायक तथा 329 स्वास्थ्य कर्मी के साथ 100 अन्य व्यक्ति भी कार्यरत हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। नगरीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्य को वैज्ञानिक विधि से संचालित कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु दो कचरा संयंत्र इकाईयाँ जैविक खाद उत्पादन हेतु स्थापित की गई, तथा 488249 किलोग्राम जैविक खाद का उत्पादन फरवरी 2012 तक किया गया। इन संयंत्रों के 200 मीटर तक की परिधि में आवासीय विकास प्रतिबंधित होगा।


### 3.14 सामाजिक अधोसंरचना


#### 3.14.1 शासकीय कार्यालय


सिंगरौली नगर जिला मुख्यालय होकर नगर में लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय स्थापित हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालय संचालित हैं, जिससे नगरवासियों को काफी असुविधा होती है। अतः जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए माजन खुर्द एवं बिलौजी तेलियान में निर्माणाधीन संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर की 12.88 हेक्टेयर भूमि एवं उससे संलग्न एम.पी.ई.बी. भाग तथा एन.सी.एल. को आवंटित भूमि, नगर निगम के समीप, आदि को संलग्न करते हुए लगभग 50.00 हेक्टेयर भूमि कार्यालयों के विकास हेतु प्रस्तावित है। इसके साथ ही देवरा में कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु लगभग 35.00 हेक्टेयर, गहिलगढ़ पश्चिम एवं पूर्व दोनों ग्रामों में एम.जी.आर. लाइन एवं शहर के मध्य लगभग 35.00 हेक्टेयर तथा मोरबा में ग्राम चटका के अंतर्गत नाले से संलग्न 24.00 हेक्टेयर भूमि, इस प्रकार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तीनों नगर समूहों में लगभग 140.00 हेक्टेयर भूमि भविष्य में स्थापित एवं पुनर्स्थापित होने वाले कार्यालयों के लिए प्रस्तावित की गई है।

#### 3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

सिंगरौली में 4 शासकीय अस्पतालों में 490 बिस्तरों की उपलब्धता के साथ 47 चिकित्सक, 88 नर्स तथा 64 पैराचिकित्सीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त







3 निजी अस्पताल भी नगर में स्थित हैं। इनमें 55 चिकित्सक 145 नर्स एवं 29 पराचिकित्सीय कर्मचारी कार्यरत हैं। निजी अस्पतालों में 160 बिस्तरों की उपलब्धता है। नगर में कुल 7 नर्सिंग होम में 140 बिस्तर उपलब्ध हैं। 30 चिकित्सक 64 नर्स एवं 31 पैराचिकित्सीय कर्मचारी इनमें कार्य संपादित करते हैं।

कार्मिक नगरी सिंगरौली में जिला स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। अतः जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल कॉलेज हेतु ग्राम नौगढ़ एवं पचौर में 20.00 हे. भूमि, तथा विभिन्न नगर समूह में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

### 3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

नगर के भावी शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए बैद्वन नगरीय क्षेत्र में ग्राम तेलाई, पचौर, परसौना तिराहा एवं नौगई में पॉलीटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई. एवं जेल के निकटस्थ 121.00 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के विकास हेतु स्थल प्रस्तावित है, तथा मोरबा के ग्राम मेढौली में प्रस्तावित बस स्टैंड के दक्षिण में 8.00 हेक्टेयर भूमि का विकास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रस्तावित है।

### 3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान को यथावत नियोजन में समाहित किया गया है। नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए नये श्मशान एवं कब्रिस्तान कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थलों का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जाएगा। वर्तमान में स्थित कब्रिस्तान/श्मशान घाट निम्नानुसार हैं:

1. बैद्वन में तालाब के पास बस्ती के समीप
2. देवरा नाले के पास
3. मोरबा विश्राम गृह के पीछे नाले के किनारे।
4. बरगवाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के दक्षिण में तालाब के पास।
5. मोरबा में ज्योति कॉन्वेन्ट स्कूल के पास।

ऐसे स्थल जो अत्याधिक जन सामान्य की अन्य सुविधाओं को प्रभावित करेंगे, उन्हें सार्वजनिक हित में पर्यावरण की दृष्टि से सघन वृक्षारोपण कर वर्तमान उपयोग को बंद करने का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। क्योंकि नगर में आधुनिक संसाधनों से युक्त विद्युत चलित शवदहन केन्द्र उपलब्ध नहीं है, इसकी पूर्ति के लिए विकास योजना में काँचन नदी का तटवर्ती स्थल प्रस्तावित है। गनियारी में भी एक कब्रिस्तान/श्मशान घाट प्रस्तावित है।

### 3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु 2 लाख जनसंख्या पर एक फायर स्टेशन आवश्यक होता है। प्रति अग्निशमन स्टेशन हेतु 1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति के समय अग्निशमन प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इस हेतु इनके आवास भी इसी स्थान पर उपलब्ध हो सकें। अग्निशमन हेतु स्थापित केन्द्र एवं उपकेन्द्र ऐसे स्थानों पर नियोजित होना चाहिए, जहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र अग्निशमन वाहन अग्नि दुर्घटना के समय अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। वर्तमान में वृहद् राष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयों के पास, तथा मोरबा एवं स्थानीय नगर निगम बैढ़न के पास यह सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर निगम के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं कार्यशील बनाना प्रस्तावित है। भावी औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इसका आधुनिक उपकरणों के साथ वर्तमान स्थलों पर ही विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

### 3.14.6 क्रीडांगन/ खेल परिसर


नगर में बैढ़न एवं विन्ध्यनगर में स्टेडियम होने से इसकी सुविधा नगरवासियों को प्राप्त हो रही है, इसके अलावा नगर में खेल के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के भावी विकास को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर क्रीडांगन/ खेल परिसर हेतु ग्राम देवरा में 24.92 हे. भूमि प्रस्तावित है। ऐसे परिसर का विकास स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार होगा।

### 3.14.7 डेयरी फार्म/पशु पालन

वर्तमान में बैढ़न में एक दुग्ध संग्रहण एवं वितरण केन्द्र संचालित है, जो अपर्याप्त है तथा डेयरी सह पशुपालन नगर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रमुख उपयोगों के साथ मिश्रित होकर संचालित है। नगरीय क्षेत्र में यत्र-तत्र फैला हुआ डेयरी व्यवसाय स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में सिंगरौली नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पर्यावरण एवं सुगम यातायात संचालन के लिए डेयरी व्यवसाय को नगरीय क्षेत्र से बाहर उपयुक्त स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः नगरीय बसाहट के क्षेत्र में फैले हुए वर्तमान डेयरी एवं पशु पालन को कृषि उपयोग के अंतर्गत शासकीय भूमि पर नगर विकास समिति की सहमति से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

### 3.14.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में न्यायालय के आगे विन्ध्यनगर जाने वाले रोड के पास तथा मस्जिद, मंदिर एवं सर्किट हाउस रोड पर मांस विक्रय कार्य संचालित है, जो उपयुक्त स्थल नहीं है। अतः ग्राम गनियारी में एम.जी.आर. के पास 1.50 हेक्टेयर, बरगवाँ के ग्राम डगा में औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पर नाले के किनारे 1.00 हेक्टेयर तथा मोरबा मुख्य मार्ग पर एम.पी.ई.बी. से संलग्न नाले से लगकर 1.00 हेक्टेयर भूमि पर स्लॉटर हाउस विकसित किया जाना प्रस्तावित है।



### 3.14.9 पिकनिक स्थल

व्यस्ततम जीवन में कुछ क्षणों के लिए विश्रान्ति पाने हेतु मानव जीवन शान्तिप्रद स्थलों की तलाश करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगरवासियों को निवेश क्षेत्र के अंतर्गत झिंगुरदा कोल माईन्स के पास, टिप्पा झरिया, हनुमान मंदिर, ग्राम पचौर में प्राचीन शिव मंदिर एवं उससे संलग्न क्षेत्र, तथा जयन्त से मोरबा जाने वाले मार्ग पर ग्राम मुडवानी में बांध एवं पहाड़ी क्षेत्र से संलग्न स्थल को पिकनिक/मेला स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। माडा की गुफाओं का विकास पर्यटक दृष्टि से किया जाना उचित है।

### 3.14.10 अन्य सेवाएँ—सुविधाएँ

वर्तमान में दूरभाष सुविधा तथा डाकघर बैढ़न, मोरबा एवं बरगवाँ में उपलब्ध हैं। विन्ध्यनगर के अंतर्गत 2 क्लब और 2 सामुदायिक भवन, एन.सी.एल. के अंतर्गत 22 क्लब व 6 सामुदायिक भवन, तथा बैढ़न में 03 क्लब एवं 1 सामुदायिक भवन नगरवासियों की सुविधा हेतु उपलब्ध हैं। इनके साथ एन.सी.एल. के अंतर्गत 12, विन्ध्यनगर में 1, बैढ़न एवं जयन्त में 1-1 पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है।

डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उपआरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

## अध्याय—4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना

### 4.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

सक्षम परिवहन संरचना नगर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सिंगरौली नगर सीधी, सतना, जबलपुर, कटनी (मध्यप्रदेश) तथा अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) एवं मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) से सड़क मार्ग द्वारा तथा कटनी, जबलपुर (मध्यप्रदेश) एवं चोपन, शक्तिनगर (उत्तरप्रदेश) से रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135—सी नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः क्षेत्रीय मार्ग संरचना में सुधार आवश्यक है। सिंगरौली नगर की यातायात संरचना निम्नानुसार है:

1. विकसित क्षेत्र के बाहर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 तथा 135—सी हेतु बायपास एवं रिंग रोड का प्रस्ताव।
2. सीधी, सीवा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अम्बिकापुर मार्गों से उत्पन्न क्षेत्रीय यातायात हेतु प्रमुख मार्ग का प्रस्ताव।
3. वृहद स्तर की औद्योगिक इकाईयों में सम्पर्क स्थापित करना।
4. प्रमुख आवासीय क्षेत्रों का रेलवे स्टेशन से मार्गों द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना।
5. कार्यात्मक दृष्टि से मार्गों का श्रेणीबद्ध विकास।
6. नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण।
7. प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों का नगरीय मार्गों से सम्पर्क स्थापित करना।
8. यातायात समस्याएँ, मार्ग अवरोध, अंधे मोड़ आदि में सुधार।
9. मिश्रित वाहन यातायात हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना का प्रस्ताव।
10. कार्य केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्र के बीच सीधे मार्गों का निर्माण कर मितव्ययी सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था।

### 4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास मूलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। कार, टैम्पो, ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्रगति एवं मन्दगति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। सिंगरौली में अभी भी सामान्य नागरिकों द्वारा यातायात के साधन के रूप में साइकिल का उपयोग अधिक किया जाता है। अन्य वाहनों में कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि हैं। नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं:

1. निचली रपटा रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 से ऊँचाई कम होने के कारण वर्षाकाल में यातायात में रुकावट आती है। अतः उक्त रोड की ऊँचाई बढ़ाना आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के नगर से गुजरने वाले यातायात को कम करने के लिये बायपास।
3. लगभग सभी मुख्य मार्गों के मार्ग उपस्कर में सुधार आवश्यक है।
4. बस स्टैण्ड को सुविधाजनक स्थल पर स्थानान्तरित करना।
5. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग का प्रावधान।
6. कार्य केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करना।

#### 4.2.1 सार्वजनिक परिवहन

वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा संचालित हैं, जो कि कार्य केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व कॉलोनियों तक यात्रियों को पहुँचाते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को गन्तव्य स्थलों तक पहुँचने हेतु प्रतिदिन समस्याएँ आती हैं। अतः नगर में सार्वजनिक परिवहन (बस) प्रणाली की आवश्यकता है।

#### 4.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना

वर्तमान में क्षेत्रीय मार्ग सीधी, माडा, पिपरी आदि को जाने वाले मार्गों के मध्य से गुजरते हैं। इन मार्गों में अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने हेतु बायपास एवं प्रमुख नगरीय मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं।

#### 4.4 यातायात के प्रस्ताव


सिंगरौली विकास योजना 2035 में वर्णित यातायात प्रस्ताव निम्न मार्गों की श्रेणी पर आधारित हैं:


1. क्षेत्रीय मार्ग
2. मुख्य नगरीय मार्ग
3. खण्ड स्तरीय मार्ग
4. उपखण्ड स्तरीय मार्ग
5. स्थानीय मार्ग
6. साइकिल मार्ग
7. पदचारी मार्ग

#### 4.4.1 क्षेत्रीय मार्ग

##### 4.4.1.1 बैढ़न बायपास मार्ग (दक्षिणी)

नगरीय क्षेत्र से गुजरने वाला, रीवा और सीधी से बैढ़न होते हुए शक्तिनगर (बनारस) की ओर जाने वाले राजमार्ग पर यातायात का भारी दबाव रहता है, जिससे अधिकांशतः मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति निर्मित होती है। दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए





क्षेत्रीय यातायात को परिवर्तित करने हेतु सीधी राजमार्ग पर ग्राम देवरी से प्रारम्भ कर माडा मार्ग होकर बिलौजी-भटवा होते हुए गनियारी तथा एम.जी.आर. लाईन के बगल से होते हुए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर के पास शक्तिनगर (बनारस) को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 25.41 किलोमीटर लंबा बायपास मार्ग प्रस्तावित है, जिसकी चौड़ाई क्रमशः 40 व 60 मीटर है।

#### 4.4.1.2 बरगवाँ, गोरबी, मोरबा बायपास मार्ग (उत्तरी)

बरगवाँ, गोरबी एवं मोरबा के घनी आबादी क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135-सी गुजरता है, जिस पर यातायात का भारी दबाव रहता है। इसके सुगम यातायात हेतु सड़क विकास निगम (आर.डी.सी.) द्वारा बायपास मार्ग का प्रस्ताव दिया गया तथा उसको विकास योजना 2035 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 4.4.1.3 बरगवाँ बायपास मार्ग (दक्षिणी)

ग्राम बरगवाँ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 39 नगरीय क्षेत्र के अंदर से गुजरता है जिससे यातायात अवरुद्ध होने एवं दुर्घटनाओं की संभावना व्याप्त रहती है। इसके लिए विकास योजना 2035 में 5.25 किलोमीटर लंबा एवं 60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

### 4.4.2 मुख्य नगरीय मार्ग

#### 4.4.2.1 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39

बैढन से तेलदाह होकर बरगवाँ को जोड़ते हुए सीधी, रीवा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई निवेश क्षेत्र के बाहर दोनों ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप यथावत रहेगी, किन्तु तेलदाह, बैढन एवं बरगवाँ नगरीय क्षेत्र में घनी आबादी होने से मार्ग की चौड़ाई कम है, जिसको ध्यान में रखते हुए निवेश क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग की चौड़ाई 40 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

#### 4.4.2.2 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135-सी

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135-सी ग्राम बरहवा टोला से बरगवाँ, गोरबी, मोरबा, झिंगुरदा होते हुए पिपरी को जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई 40 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र के बाहर दोनों ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चौड़ाई यथावत रहेगी।

#### 4.4.2.3 प्रमुख नगरीय मार्ग

नगर के प्रमुख वर्तमान नगरीय मार्गों के विस्तार हेतु, यातायात के दबाव एवं वर्तमान चौड़ाई को दृष्टिगत रखते हुए, नगरीय यातायात संरचना एवं विभिन्न वर्तमान एवं भावी कार्यकलापों के सुगम यातायात हेतु विस्तारित एवं प्रस्तावित मार्गों का विवरण सारणी 4-सा-1 में दर्शाया गया है।

### प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई

सारणी 4-सा-1

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)
1.	2.	3.
अ.	<b>राष्ट्रीय राजमार्ग 39</b>	
1.	बैढन से तेलदाह होकर बरगवाँ	40
2.	बरगवाँ प्रस्तावित बायपास के बाद	60
3.	बैढन प्रस्तावित बायपास	60
ब.	<b>राष्ट्रीय राजमार्ग 135-सी</b>	
1.	बरगवाँ से मोरबा (गोरवी होकर)	40
2.	सीधी मार्ग प्रस्तावित बायपास के बाद	60
3.	बरहवा टोला डगा प्रस्तावित बायपास	60
स.	<b>क्षेत्रीय मार्ग</b>	
	<b>बैढन-सीधी मुख्य मार्ग</b>	
	बरहवा टोला से रेलवे क्रॉसिंग तक	35
	रेलवे क्रॉसिंग से प्रस्तावित बायपास तक (बरगवाँ)	40
	बरगवाँ बायपास से बैढन बायपास तक	60
1.	1. बायपास से माजन मोड़	40
	2. माजन मोड़ से ताली पुलिया तक	35
	बिलौजी ताली पुलिया से तहसील कार्यालय तक	30
	तहसील कार्यालय से अयाज साँ मिल तक	18
	अयाज साँ मिल से विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लान्ट (बायपास) तक	35
	प्लान्ट से आगे	60
	<b>माडा मार्ग</b>	
2.	परसौना तिराहा से प्रस्तावित बायपास तक	35
	निवेश सीमा से माडा की ओर	45
स.	<b>नगरीय मार्ग</b>	
1.	मोड़ से नवानगर, जयन्त मार्ग होकर शक्तिनगर की ओर	35
2.	नवजीवन विहार सेक्टर 4 से होते हुये जयन्त वौराहे तक	24
3.	तेलाई तिराहा से आई.टी.आई. होकर हिरवाह को जोड़ने वाला मार्ग	30
4.	कचनी तिराहा से नौगढ़ मोड़ को जाने वाला मार्ग (तिराहे) तक	30

5.	पुराने तहसील कार्यालय से गनियारी औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाला मार्ग	18
6.	ग्राम बिलौजी से देवरा में बायपास मार्ग तक	18
7.	एस.ई.सी.एल. औषधालय से बस स्टैण्ड होकर आई.टी.आई. (मोरबा) तक	18
8.	मुख्य मार्ग मोरबा सर्किट हाउस से मुख्य बाज़ार तक	18
9.	गनियारी तिराहे होकर बीजपुर को जाने वाला मार्ग	18-24
10.	ग्राम देवरी मुख्य मार्ग से अमलोरी नौगढ़ होते हुए अमलोरी तिराहे को जाने वाले वर्तमान मार्ग तक तथा नवानगर मोड़ तक एम.आर.-1	40
11.	गनियारी से हिरवाह होकर हवाई पट्टी जाने वाला मार्ग	18
12.	बस स्टैण्ड बैढ़न से बिलौजी होकर माजन तिराहे के पास तक	18
13.	सेक्टर-4, नवजीवन विहार, हरई पश्चिम तालाब के पास तक	18
14.	वर्तमान स्टेडियम के सामने से घुरीताल होते हुए जयन्त मार्ग तक एम.आर.-4	30
15.	ग्राम माजन में माजन बागीचे के दक्षिण हरई मुख्य मार्ग तक एम.आर.-3	30
16.	माजन मोड़ से हिरवाह तक बायपास मार्ग होकर हवाई पट्टी जाने वाले मार्ग तक एम.आर.-2	30
17.	अभिलिया दूखाखांड मार्ग	30

टीप: जिला मुख्यालय बैढ़न से निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों एवं प्रमुख स्थानों को जोड़ने हेतु प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 18-24 मीटर होगी।

#### 4.4.3 खण्ड / उपखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग वृत्त स्तर के यातायात हेतु प्रस्तावित हैं। इन मार्गों हेतु मार्गाधिकार निवेश क्षेत्र में 20-24 मीटर एवं नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 12-18 मीटर प्रस्तावित है।

#### 4.4.4 स्थानीय मार्ग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्रों में आवागमन हेतु मार्ग श्रृंखला है, जिसकी चौड़ाई विकास नियमन में निर्धारित है। प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में प्रमुख सड़कों की चौड़ाई 20 मीटर प्रस्तावित है, तथा वर्तमान विकसित क्षेत्र में 12-15 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है। वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षेत्रों में अनुशंसित चौड़ाई स्थल पर उपलब्धता के अनुरूप नियंत्रित होगी। बाज़ार, परिसर, दुकानें एवं अन्य गैर आवासीय गतिविधियों के क्षेत्रों में विकास अनुमति, सेवा मार्ग एवं पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थल छोड़ने के पश्चात् दी जा सकेगी।

#### 4.4.5 प्रस्तावित मार्ग, सेक्शन एवं विकास के चरण

विभिन्न स्तर के मार्गों के विकास एवं निर्माण हेतु मार्ग सेक्शन का निर्धारण किया गया है। विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों का विकास/निर्माण दो चरणों में किया जा सकता है, जिसका विवरण सारणी 4-सा-2 में दर्शाया गया है।

#### सिंगरौली: मार्ग सेक्शन

#### सारणी 4-सा-2

क्र.	मार्ग	यातायात प्रबंधन के विचारणीय बिन्दु	यातायात लेन की संख्या		
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	पूर्णरूपेण सीधा यातायात, स्थानीय यातायात मार्ग विभाजक द्वारा अलग-अलग किया जाएगा। नए विकास क्षेत्रों में सीधा प्रवेश पर नियंत्रण, केवल सेवा मार्गों द्वारा क्षेत्रीय यातायात	3	3	6
<b>स्थानीय यातायात</b>					
2.	अन्य क्षेत्रीय मार्ग (जयन्त, अमलोरी, मोरबा)	पूर्णरूपेण आने-जाने वाले यातायात को मार्ग विभाजक द्वारा अलग किया जाएगा। केवल सेवा मार्गों द्वारा ही पहुँच, क्षेत्रीय यातायात, स्थानीय यातायात	3	3	6
3.	वृत्तीय (बायपास मार्ग)	सार्वजनिक यातायात मार्ग एवं स्थानीय यातायात पृथक होना, सीधा प्रवेश नियंत्रण, क्षेत्रीय यातायात, स्थानीय यातायात	4	4	8
4.	प्रमुख नगरीय मार्ग (एम.आर.)	सार्वजनिक यातायात मार्ग एवं स्थानीय मार्ग यातायात पृथक होना, सीधा प्रवेश नियंत्रण, क्षेत्रीय यातायात	2	2	4
5.	वृत्त खण्ड मार्ग / उपखण्ड मार्ग (एम.आर.)	वाहन यातायात एवं रहवासी यातायात	1	1	2

1. पादचारी सेवा मार्गों को लेन की विभाजक पट्टी के साथ मार्गों के विस्तृत रूपांकन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2. जहाँ आवासीय क्षेत्रों के भूखण्ड मुख्य मार्ग के सम्मुख हैं और मार्ग की सुगमता है, वहाँ धमनीय मार्गों एवं वृत्त खण्ड मार्गों पर प्रत्येक दिशा में कम से कम एक लेन हल्के वाहन यातायात के लिए अलग से प्रदान की जाएगी।
3. सम्पर्क मार्गों पर आवश्यकता के अनुरूप साइकिल, दो पहिया वाहनों के लिए मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।

#### 4.4.6 मार्ग संगमों का सुधार

नगर के निम्न मार्ग संगमों को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कुछ चौराहे जैसे माजन मोड़, सर्किट हाउस चौक, बिलौजी, तेलाई आदि का विकास यातायात की दृष्टि से किया जा चुका है। निम्न चौराहों का विकास प्राथमिकता के क्रम में किया जाना प्रस्तावित है:

1. बरगवाँ-गोरबी तिराहा
2. परसौना मोड़ तिराहा
3. तेलाई मोड़ तिराहा
4. नवानगर तिराहा
5. अमलोरी तिराहा
6. गनियारी चौक
7. शाहपुर/गहिलरा तिराहा
8. शुक्ला मोड़ (मोरबा)
9. एन.सी.एल. अस्पताल तिराहा (मोरबा)

#### 4.4.7 रेलवे एवं ओव्हर ब्रिज

बैढन तथा बरगवाँ के मध्य रेल सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रेल लाईन प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से सम्पर्क स्थापित होगा और बरगवाँ को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विभाजन से भी बचाया जा सकेगा। इससे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक और क्षेत्रीय मार्ग के साथ ही अतिरिक्त रेलवे सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। जयन्त से मोरबा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बरगवाँ में औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए भालुगढ़ ग्राम में रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें वाहन विराम स्थल, यात्री प्रतीक्षालय एवं आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं।

#### 4.4.8 बस स्थानक एवं बस डिपो

बरगवाँ से बैढन मुख्य मार्ग के दक्षिण में तेलाई तिराहे के उत्तर की ओर प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग के दक्षिण की ओर बस स्टैण्ड तथा डिपो के लिए ग्राम तेलाई में स्थान प्रस्तावित किया गया था, किंतु नगरीय विकसित क्षेत्रान्तर्गत होने से केवल बस स्टैण्ड हेतु प्रस्ताव दिया गया है। बस स्थानक एवं बस डिपो ग्राम गड़रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 39

पर 7.88 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है। इसी प्रकार ग्राम बरगवाँ में वन विभाग के उत्तर में बस स्थानक प्रस्तावित है, जो नागरिकों के लिए सुविधाजनक रहेगा। विन्ध्यनगर के प्रमुख मार्ग के दक्षिण की ओर प्रस्तावित बायपास के उत्तर में बस स्थानक का प्रस्ताव दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली बसों के लिए सुविधाजनक होगा। मोरबा के ग्राम मेढौली में काली मंदिर एवं मुख्य मार्ग तिराहे से लगकर 2.64 हेक्टेयर भूमि नए बस स्टैण्ड हेतु प्रस्तावित है।

#### 4.4.9 हवाई पट्टी

सिंगरौली का प्रदेश एवं देश से वायु सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से बैङ्कन के दक्षिण भाग में ग्राम सिंगरौलिया, खजुरी एवं कटौली में हवाई पट्टी का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए शासकीय एवं निजी सम्मिलित करते हुए 83 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है।

#### 4.4.10 क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन एवं टैक्सी स्टैण्ड

क्षेत्रीय बस स्थानक की क्षमता बढ़ाने एवं यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के अन्दर क्षेत्रीय मार्गों पर पिकअप स्टेशन का होना अत्यावश्यक है। सभी क्षेत्रीय मार्गों के नगर में प्रवेश बिन्दुओं पर बस स्थानकों का प्रस्ताव निम्नानुसार है:

1. बरगवाँ औद्योगिक क्षेत्र वन विभाग कार्यालय के पास।
2. माजन मोड़ के पास
3. नवानगर मोड़ के पास
4. जयन्त तिराहा
5. रेलवे स्टेशन के पास (मोरबा)
6. गोंदवली रेलवे क्रॉसिंग के पास
7. विन्ध्यनगर मुख्य मार्ग पर
8. पररौना तिराहे पर

#### 4.4.11 नगर बस अवसान केन्द्र

वर्ष 2035 तक सिंगरौली नगर के विकास एवं विस्तार की गति तीव्र होने की संभावना है। अतः एक तीव्र यातायात प्रणाली का होना अत्यावश्यक है। इस हेतु नगर बस सेवा अवसान केन्द्रों को निम्न स्थानों पर प्रस्तावित किया गया है:

1. बस स्टैण्ड के पास
2. विन्ध्यनगर बस डिपो के पास
3. मोरबा बस स्टैण्ड
4. पररौना मोड़ के पास
5. माजन मोड़ के पास
6. नवानगर मोड़ के पास
7. नवजीवन विहार
8. अमलोरी तिराहे के पास, नवानगर मोड़

9. गनियारी मार्ग तिराहे के पास
10. एन.सी.एल. तिराहे के पारा (जयन्त)

#### 4.4.12 अवसान केन्द्र (माल)

सिंगरौली नगर मुख्यतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा माल ले जाने में वृद्धि होगी। अतः निम्नलिखित स्थानों पर माल अवसान केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं:

1. तेलाई चौराहा
2. माजन बगीचे के पास
3. परसौना मोड़ के पास
4. बरगवाँ चौराहे के पास
5. मोरबा में शुक्ला मोड़ के पास
6. अमलोरी तिराहा के पास
7. गनियारी तिराहा के पास
8. नवजीवन तिराहा
9. नवानगर मोड़ के पास

#### 4.4.13 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर

नगर विकास की कड़ी में यातायात प्रमुख समस्या है। वाहन मरम्मत एवं पार्किंग प्रमुख मार्गों के किनारे होने से यातायात आवागमन बाधित होता है, तथा दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं। नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित स्थानों में वाहन पार्किंग हेतु स्थल विकसित किया जाना प्रस्तावित है।


1. बैढ़न नगर में ग्राम हिरवाह के अंतर्गत 19.00 हेक्टेयर
2. नौगढ़ में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के पास 10.00 हेक्टेयर
3. बरगवाँ में बरहवा टोला में प्रस्तावित गोदाम से संलग्न 4.00 हेक्टेयर
4. मोरबा में रेलवे स्टेशन के पश्चिम में 3.00 हेक्टेयर
5. बैढ़न-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर 5.00 हेक्टेयर
6. गड़रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर 19.97 हेक्टेयर का यातायात नगर


#### 4.4.14 प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्ग

1. माजन मोड़ तिराहे से मोरबा रोड की ओर नवानगर मोड़ तक।
2. बरगवाँ, बैढ़न मुख्य मार्ग में परसौना तिराहा से तेलाई मोड़ होकर माजन मोड़ होते हुए नवजीवन विहार तक।
3. पुराने तहसील तिराहे से गनियारी चौक तक।
4. मोरबा शुक्ला मोड़ से एन.सी.एल. मुख्यालय तक।
5. सर्किट हाउस मोरबा से मुख्य बाजार तक।
6. एन.सी.एल. तिराहे से एम.आई.जी. चौक तक।
7. बरगवाँ थाने से रेलवे क्रॉसिंग तक, मोरबा मार्ग पर वर्तमान बसाहट तक।

#### 4.4.15 वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

1. बिलौजी मार्ग
2. कॉलेज मार्ग
3. बस स्टैण्ड मार्ग (वर्तमान अस्पताल के पास में)
4. गनियारी चौक से गनियारी औद्योगिक क्षेत्र मार्ग।





## अध्याय-5 विकास योजना प्रस्ताव-2035

### 5.1 विकास योजना-2031 का पुनर्विलोकन

किसी भी नगर का स्वरूप एवं आकार प्राकृतिक संरचना से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय विकास का प्रमुख आधार वहाँ पर उपलब्ध भौतिक एवं नैसर्गिक संसाधन नदी, नाले, पहाड़ तथा परिवहन संरचना पर निर्भर होता है। सिंगरौली क्षेत्र मुख्यतः कोयला खदानों, ताप विद्युत संयंत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। धरातल की स्थिति असमतल है। मोरबा से बैढ़न एवं बैढ़न से बरगवां को जाने वाले मार्ग नगरीय बसाहट के रूप में उभर रहे हैं। क्षेत्र की अधिकांश बसाहट एवं विकास की प्रमुख गतिविधियाँ इन्हीं मार्गों पर विकसित हो रही हैं। अतः इस क्षेत्र का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त समतल, मैदानी एवं उपयुक्त स्थलों पर किया जाना उचित होगा।

वर्तमान में बैढ़न, मोरबा, विन्ध्यनगर तथा बरगवाँ नगरीय केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं, तथा बिलौजी, मोरबा, पोंडी नौगई, परसौना, खुटार एवं रजमिलान ग्रामीण सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। मोरबा कोल धारित क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण इन बसाहटों को यथावत् रखते हुये अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय समूह के क्षेत्र बैढ़न, बरगवाँ एवं मोरबा हैं, जिसमें से बरगवाँ में रेलवे लाईन एवं रेलवे स्टेशन होने के कारण विकास हो रहा है, तथा मोरबा माइनिंग सर्वेक्षण के अनुसार कोलधारित क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें सामान्य विकास हेतु प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। इनमें से मुख्यतः बैढ़न ही नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, एवं यहाँ जिला स्तर की समस्त गतिविधियाँ विकसित हो रही हैं। इसी आधार पर सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगर के भावी विकास हेतु आवश्यकतानुसार मोरबा एवं बरगवाँ एवं अन्य विकासशील ग्रामों में प्रस्ताव दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अनुशंसित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली निवेश क्षेत्र की क्षेत्रीय एवं नगरीय स्तर पर एकीकृत योजना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार योजनाएँ तैयार करने का प्रावधान है:

1. क्षेत्रीय योजना, सिटी डेवलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.) विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय।
2. नगर को बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना।
3. नगर की सघन आबादी वाले मध्यवर्ती क्षेत्र के दबाव को कम करने हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में विकास हेतु प्रस्ताव।
4. आवासीय क्षेत्रों की अन्य कार्य केन्द्रों से निकटता।
5. क्षेत्रीय मार्गों के सुगम यातायात का नगरीय मार्गों से समन्वय के लिए बायपास (रिंग रोड) का निर्माण।
6. वृहत्तर नगरों की समन्वित एकीकृत योजना।

## 5.2 योजना अवधारणा

सिंगरौली विकास योजना 2031 में मुख्य रूप से विकास योजना 2011 एवं संपूर्ण निवेश क्षेत्र में समाहित वर्तमान विकास, औद्योगिक विकास के परिवेश, कोयला धारित क्षेत्र, कोयला खदानें, विद्युत संयंत्र तथा अन्य स्थापनाधीन विद्युत एवं औद्योगिक संस्थानों को प्रमुख आधार मानते हुए, निवेश क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को समाहित करते हुए भावी कार्यकलापों, प्रशासनिक तंत्र, संवेदनशील क्षेत्रों एवं नगर समूह क्षेत्रों, खण्ड, उपखण्ड स्तरीय यातायात की सुगमता, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना का उपयुक्त प्रबंधन तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया गया था, ताकि सिंगरौली नगरीय समूह के भावी विकास को एक सुनियोजित रूप प्राप्त हो सके। इस विकास योजना में नगर के भावी विकास से संबंधित गतिविधियों एवं बहुआयामी समन्वित विकास नीति का समावेश किया गया।

सिंगरौली विकास योजना 2031 में नियोजन की मूल अवधारणा को सिंगरौली विकास योजना 2035 के लिए भी यथावत रखा गया है। मुख्य मार्गों पर मिश्रित उपयोग को भी सम्मिलित किया गया है। योजना अवधारणा के बिन्दु निम्नानुसार हैं:

1. नगर में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नवीन प्रस्ताव।
2. वर्तमान एवं भावी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।
3. प्रमुख व्यापारिक-वाणिज्यिक एवं कृषि उत्पाद आधारित औद्योगिक केन्द्र।
4. नगर के कार्यकेन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य सुविधाजनक मार्ग संरचना।
5. नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु नियंत्रित विकास।
6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नालों, जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण।
7. प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन।
8. बरगवाँ एवं बैढ़न बायपास तथा बैढ़न सीधी रोड के आरा-पास मिश्रित गतिविधियाँ हेतु प्रस्ताव

सिंगरौली विकास योजना 2035 में पदक्रम नियोजन प्रणाली के अनुसार निवेश इकाई वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड केन्द्र को प्रावधानित न करते हुए केवल नगर स्तर के थोक एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक केन्द्र, प्रशासनिक एवं मनोरंजन केन्द्र आदि के प्रस्ताव दिए गए हैं। मार्ग संरचना में सुगम यातायात की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया गया है। 18 मीटर एवं चौड़े मार्गों के दोनों ओर मिश्रित गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं, जिससे निजी क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा।

## 5.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल

सिंगरौली शहर का भूमि उपयोग मानचित्र नगर में निर्मित इकाईयों एवं रिक्त भूमि के वर्तमान उपयोग पर आधारित है। पूर्व में उल्लेखित वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर डिजीटल विश्लेषण तकनीकी एवं स्थल सत्यापन करने के पश्चात निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र

तैयार किया गया है। भूमि उपयोग के प्रकार एवं व्याप्त क्षेत्रफल सारणी 5-सा-1 में उल्लेखित हैं।

### वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण

सारणी 5-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हे. में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	वृक्षारोपण	85.88	0.10
2.	कृषि	52123.43	63.07
3.	कृषि क्षेत्र अंतर्गत खनन (माईनिंग)	2267.83	2.74
4.	वाणिज्यिक	88.14	0.11
5.	वन क्षेत्र	11430.24	13.83
6.	वन क्षेत्र अंतर्गत खनन (माईनिंग)	3334.52	4.03
7.	पहाड़ी	229.62	0.28
8.	औद्योगिक	2160.50	2.61
9.	मिश्रित	101.81	0.12
10.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	353.25	0.43
11.	सार्वजनिक सेवाएँ - सुविधाएँ	51.71	0.06
12.	आमोद प्रमोद	123.33	0.15
13.	आवासीय	2952.63	3.57
14.	मार्ग	1396.69	1.69
15.	परिवहन	468.31	0.57
16.	जलाशय	5482.15	6.63
<b>योग</b>		<b>82650.03</b>	<b>100.00</b>

जी.आई.एस. आधारित वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों का भू-सत्यापन (Ground Truthing) वर्ष 2019 में किया गया था, तत्समय की अनुमानित जनसंख्या 5.18 लाख आंकलित कर वर्तमान विकसित क्षेत्र 7782.24 हेक्टेयर के आधार पर भूमि उपयोग दर 15.03 हे. प्रति 1000 व्यक्ति प्राप्त होती है।

#### 5.3.1 निर्मित क्षेत्र

प्राकृतिक विस्तार अंतर्गत कुल निर्मित क्षेत्र में 7782.24 हेक्टेयर भूमि है। निर्मित क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जैसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आवासीय, ग्रामीण, परिवहन आदि।

### 5.3.2 कृषि भूमि

नगरीय क्षेत्र के बाहर कृषि भूमि उपयोग प्रमुख है। कृषि उपयोग के अंतर्गत 54391.26 हेक्टेयर भूमि व्याप्त है। उक्त श्रेणी में फसल युक्त कृषि भूमि तथा रिक्त भूमि सम्मिलित है। फसल युक्त कृषि भूमि में खरीफ मौसम में सोयाबीन एवं रबी मौसम में गेहूँ तथा दाल की फसलों का उत्पादन होता है।

### 5.3.3 जलाशय

सिंगरौली शहर में जलाशय के अंतर्गत मुख्य रूप से गौरी सरोवर एवं नहरों को सम्मिलित किया गया है। निवेश क्षेत्र में जलाशय का कुल क्षेत्रफल 5482.15 हेक्टेयर है, एवं प्रतिशत 6.63 है।

### 5.3.4 खनन (माइनिंग) क्षेत्र

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में वन क्षेत्र 14764.24 हेक्टेयर है, जिसमें से 3334.52 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला खदानों के अंतर्गत पाई गई। 2267.83 हेक्टेयर कोयला खदानें कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत पाई गई।


## 5.4 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता


विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद निवेश क्षेत्र में शामिल हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशासित है। सिंगरौली मध्यम श्रेणी का नगर होकर इसकी प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन निर्मित हैं। भवनों की वर्तमान प्रकृति अनुसार सकल आवासीय घनत्व 66.52 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जो अनुशासित घनत्व के अनुसार है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने के लिये समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

## 5.5 भूमि उपयोग विवरण 2035

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भावी विकास योजना को दृष्टिगत रखते हुए इसके अंतर्गत उपलब्ध भूमि का नियोजन की दृष्टि से भू-उपयोग निर्धारण किया गया है। सिंगरौली विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक में 8.00 लाख जनसंख्या के लिये कुल 17109.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। सारणी 5-सा-2 में प्रस्तावित भूमि उपयोग आवंटन दिया गया है।





336

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

## प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

### सारणी 5-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हे. में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र 2019			उच्चावचन / निम्नावन (+)/(-)	प्रस्तावित क्षेत्र वर्ष 2035		
			क्षेत्रफल (हे. में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर		क्षेत्रफल (हे. में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आवासीय	7471.62	2952.63	37.94	5.70	+4518.99	7471.62	43.67	9.34
2.	वाणिज्यिक	643.24	88.14	1.13	0.17	+555.10	569.75	3.33	0.71
3.	औद्योगिक	2323.58	2160.50	27.76	4.17	+163.08	2760.91	16.14	3.45
4.	मिश्रित	—	101.81	1.31	0.20	-101.81	505.29	2.95	0.63
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	659.21	353.25	4.54	0.66	+254.26	893.63	5.22	1.12
6.	सार्वजनिक सेवाएँ-सुविधाएँ		51.71	0.66	0.10		55.27	0.32	0.07
7.	आमोद-प्रमोद	1743.93	209.20	2.69	0.40	+1534.73	2450.74	14.32	3.06
8.	यातायात एवं परिवहन	2372.58	1865.00	23.96	3.60	+507.57	2402.45	14.04	3.00
योग		15214.16	7782.24	100.00	15.03	+7431.92	17109.67	100.00	21.39

### 5.5.1 आवासीय

विकास योजना में नए आवासीय क्षेत्रों का आंकलन निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आवास गृहों की मांग की पूर्ति तथा नगर की भावी जनसंख्या के अधिवास को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत योजना अवधि 2035 के अंतकाल में आवासीय उपयोग हेतु 7471.62 हेक्टेयर भूमि वर्तमान आवासीय उपयोग को समाहित कर प्रस्तावित की गई है, जो प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 43.67 प्रतिशत है, जिसकी उपयोगिता दर 9.34 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति है। वर्तमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में आवासीय एवं उसमें स्वीकार्य गतिविधियों हेतु अनुमतियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेंगी।

नगर के विभिन्न आय वर्गों के लोगों की क्रय क्षमता के अनुरूप सभी के लिए आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने की नीति विकास योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस प्रकार के प्रावधान आश्रय गृह उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगरवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन मूल्यों के उत्थान में सहायक होंगे। नगरीय संरचना के संदर्भ में आवासीय क्षेत्र का विभिन्न कार्यकेन्द्रों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थलीय संबंध है। किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए कार्यकेन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभिन्न सुविधाओं की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगर विकास योजना की कुंजी है।

आवास का तात्पर्य केवल आवासीय स्थल अथवा आवासीय इकाईयाँ प्रदान करना ही नहीं, बल्कि वृहत्तर सुधार कार्यक्रम से है। प्रत्येक आवासीय क्षेत्र रहवासी अतिरिक्त आवास से प्रासंगिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनमें निम्न सम्मिलित हैं:

1. पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र एवं आसान शर्तों पर आवंटन का प्रावधान।
2. जल, विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य व्यवस्था का प्रावधान।
3. शासकीय सुविधाएँ जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद—प्रमोद आदि का प्रावधान।
4. सामाजिक एवं सामुदायिक संगठन में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयाँ का प्रावधान।
5. यातायात के साधन एवं सुविधाएँ जो कार्य केन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढंग से सम्बद्ध हों, की उपलब्धता।

### 5.5.2 वाणिज्यिक

नगर में वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 88.14 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि नगर की आवश्यकताओं के मान से कम है। अतः इस उपयोग हेतु 481.61 हेक्टेयर अविकसित भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

सिंगरौली का मुख्य बाज़ार बैङ्कन बस स्टैण्ड के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त नव जीवन विहार, मोरबा, नवानगर, विन्ध्यनगर एवं बरगवाँ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाज़ार क्षेत्र हैं। सिंगरौली में विशेषीकृत बाज़ार का अभाव है। नगर निगम द्वारा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कराया गया है। नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालित होने से वाहन विराम स्थल एवं यातायात समस्या उत्पन्न होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए नगर के भावी वाणिज्यिक विकास के प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं के आधार पर दिए गए हैं:

1. सुविधाजनक वाणिज्यिक विकास हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन।
2. सुगम यातायात हेतु मार्गों का विकास।
3. थोक, विशिष्ट खण्ड एवं उपखण्ड स्तरीय बाजारों का विकास।

वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु 569.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसका विवरण सारणी 5-सा-3 में दर्शाया गया है।

### वाणिज्यिक गतिविधियाँ

सारणी 5-सा-3

क्र.	विवरण	स्थिति	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	2.	3.	4.
1.	थोक एवं विशिष्ट बाज़ार	धतुरा पोखरा, देंकी	21.00
		परसौना तिराहा	36.00
		मोरबा (मेढौली)	13.00
		बरगवाँ (डगा)	77.00
2.	माल गोदाम एवं शीतगृह	सिंगरौली (मेढौली) रेलवे स्टेशन के पास	29.00
		बरगवाँ (बरहवा टोला)	54.00
		गोंदवाली	38.00
		धतुरा पोखरा	20.00
		बैढ़न, पोंडी नौगई	40.00
		बैढ़न (कचनी)	18.00
3.	कोल एवं ऑयल डिपो	बरगवाँ में रेलवे स्टेशन के पास	22.00
4.	सब्जी मण्डी, फल बाज़ार एवं ग्रेन मार्केट	मोरबा विद्युत मंडल कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण (मेढौली)	5.00
		बरगवाँ में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के सामने	5.00
		तेलाई मोड़ के पास	6.00
		बैढ़न (तेलाई) में प्रस्तावित सब्जी मण्डी से संलग्न	5.00
5.	मीट मार्केट	गनियारी एम.जी.आर. लाईन के पास	1.00
		बरगवाँ में औद्योगिक से संलग्न प्रमुख मार्ग के किनारे	1.00
		मोरबा में एम.पी.ई.बी. से संलग्न	1.00
6.	स्लॉटर हाउस	विन्ध्यनगर में थाने के पीछे नाले से लगकर	2.00
7.	लोहा मण्डी एवं कबाड़ी बाज़ार	बैढ़न (नौगढ़) में	15.00
8.	काष्ठागार (लकड़ी टाल)	मोरबा में वन क्षेत्र के अंतर्गत	10.00
		औद्योगिक क्षेत्र गनियारी से संलग्न	5.00
		ग्राम बलियारी में	10.00
		बरगवाँ में वन विभाग के पास	10.00

		बरगवाँ बरहवा टोला में प्रस्तावित गोदाम क्षेत्र में	5.00
9.	कृषि उपज मण्डी	माडा/बरगवाँ मार्ग कृषि प्रक्षेत्र	20.00
10.	नगर स्तरीय	नगर के प्रमुख वाणिज्यिक मार्गों पर	20.00
11.	खण्ड स्तरीय		14.00
12.	उपखण्ड स्तरीय		11.00

### 5.5.2.1 थोक विशिष्ट बाज़ार

नगर में थोक एवं विशिष्ट बाज़ार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए नागरिकों को कटनी, जबलपुर एवं बिलासपुर के थोक बाजारों पर आश्रित रहना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों की स्थापना एवं जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर भविष्य में थोक एवं विशिष्ट बाज़ार की आवश्यकता होगी। थोक एवं विशिष्ट बाज़ार के अंतर्गत समस्त किराना एवं कपड़े का थोक क्रय-विक्रय आता है। इसके भावी विकास हेतु बैदन में परसौना तिराहा के पारा 36.00 हेक्टेयर, ग्राम धतुरा पोखरा, ढेंकी में 21.00 हेक्टेयर, मोरबा में 13.00 हेक्टेयर एवं बरगवाँ में 77.0 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 147.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.5.2.2 माल गोदाम एवं शीतगृह

माल गोदाम एवं शीतगृह हेतु नगर की भावी आवश्यकताओं के अनुसार मोरबा में मेढौली रेलवे स्टेशन के पास 29.00 हेक्टेयर, मोरबा से बैदन जाने वाले मार्ग पर 13.00 हे. बरगवाँ (बरहवा टोला) में 54.00 हेक्टेयर, गोंदवाली में 38.00 हेक्टेयर तथा धतुरा पोखरा, ढेंकी, बैदन, कचनी, पोंडी नौगई के अंतर्गत माल गोदाम एवं शीतगृह उपयोग हेतु कुल 225.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

### 5.5.2.3 कोल एवं ऑयल डिपो

कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता तथा ऑयल की आवश्यकता होने के बावजूद भी नगर में भण्डारण-की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः बरगवाँ में रेलवे स्टेशन के पारा 22.00 हेक्टेयर भूमि कोल एवं आयल डिपो हेतु प्रस्तावित की गई है।

### 5.5.2.4 सब्जी मण्डी, फल बाज़ार एवं ग्रेन मार्केट

नगर में सब्जी मण्डी एवं फल बाज़ार असंगठित रूप में प्रमुख मार्गों के किनारे बैदन, बरगवाँ एवं मोरबा में संचालित हैं, जिससे यातायात समस्या उत्पन्न होती है। सब्जी मण्डी एवं फल बाज़ार हेतु 6.00 हेक्टेयर भूमि तेलाई में, मोरबा (मेढौली) में 3.00 हेक्टेयर, तथा बरगवाँ में 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सब्जी मण्डियाँ बैदन, मोरबा, नवजीवन विहार तथा जयन्त में फुटकर सब्जी बाज़ार के रूप में यथावत रहेंगी। ग्रेन मार्केट के विकास हेतु मोरबा में विद्युत मण्डल कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक

39 के दक्षिण में, बरगवाँ में वन कार्यालय के पास सीधी मार्ग के उत्तर में, तथा बैढन में तेलाई मोड़ के पास 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

#### 5.5.2.5 मीट मार्केट

औद्योगिक क्षेत्र गनियारी में एम.जी.आर. लाईन के पास 1.00 हेक्टेयर, मोरबा मुख्य मार्ग पर एम.पी.ई.बी. के समीप नाले से लगकर 1.00 हेक्टेयर, तथा बरगवाँ में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 1.00 हेक्टेयर भूमि मीट मार्केट विकास हेतु प्रस्तावित है।

#### 5.5.2.6 लोहा मण्डी एवं कबाड़ी बाज़ार

नगर में व्यवस्थित रूप से लोहा मण्डी विकसित नहीं है तथा विभिन्न क्षेत्रों में यत्र-तत्र लोहे का विक्रय किया जाता है। अतः व्यवस्थित रूप से लोहा मण्डी के विकास हेतु ग्राम नौगढ़ सीधी प्रमुख मार्ग पर 15.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए कबाड़ को संग्रहित करने हेतु ग्राम नौगढ़ में लोहा मण्डी से संलग्न 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

#### 5.5.2.7 काष्ठागार (लकड़ी टाल)

वन बाहुल्य क्षेत्र होने एवं इमारती तथा जलाऊ लकड़ी के समुचित रख रखाव हेतु निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बरगवाँ में वन कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न उत्तर की ओर 10.00 हेक्टेयर, तथा मोरबा में वन क्षेत्र के अंतर्गत 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त गनियारी औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 5.00 हेक्टेयर एवं ग्राम बलियारी में 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

#### 5.5.2.8 कृषि उपज मण्डी

वर्तमान में बैढन में कलेक्ट्रेट के पास कृषि उपज मण्डी संचालित है जिसके आसपास कई कार्यालय संचालित होने के कारण स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से भविष्य में माडा तिराहा के पास प्रस्तावित कृषि भूमि आधारित उद्योग से संलग्न क्षेत्र में 20.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

#### 5.5.2.9 फुटकर बाज़ार

इनके अंतर्गत नगर, खण्ड एवं उपखण्डीय स्तर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान समायोजित हैं। बैढन-सीधी प्रमुख मार्ग एवं माजन मोड़ से नवानगर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर 50 मी. की गहराई तक वाणिज्यिक उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमतियाँ दी जा सकेंगी। सारणी 5-सा-4 में दिए गए विवरण अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजना को भी समायोजित किया जा सकेगा।

## स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना

सारणी 5-सा-4

क्र.	संस्था का नाम	स्थल का नाम	वाणिज्यिक विकास का प्रकार
1.	2.	3.	4.
1.	नगर पालिका निगम	नवजीवन विहार	शॉपिंग मॉल
		बैढ़न	बस स्टैण्ड के पास
		पुराने पोस्ट ऑफिस के पास	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
2.	सिंगरौली विकास प्राधिकरण	पंजरेह	आवासीय सह वाणिज्यिक
		नौगढ़	—
		बरहवा टोला	—

### 5.5.3 औद्योगिक

भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती है। सिंगरौली में उद्योग हेतु पर्याप्त मात्रा में जल एवं विद्युत, यातायात, संचार व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन एवं वितरण की पर्याप्त व्यवस्था, तथा आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सिंगरौली क्षेत्र इन सुविधाओं का धनी है, जिससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयाँ यहाँ स्थापित हुईं, तथा स्थापना हेतु प्रयासरत हैं। इनके लिए पर्याप्त जल, कोयला, शासन द्वारा प्रोत्साहन, वन प्रक्षेत्र तथा सड़क एवं रेल यातायात की सुविधा के कारण सिंगरौली का देश के बड़े नगरों से सम्पर्क स्थापित होता है। वर्तमान में सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 2160.50 हेक्टेयर भूमि का उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त आवश्यकता हेतु 600.41 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर कुल 2760.91 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल क्षेत्र का 16.14 प्रतिशत है। सिंगरौली में 9 वृहद, 35 मध्यम एवं 975 लघु उद्योग स्थापित हैं। इनमें क्रमशः 7216, 2350 एवं 1109 कर्मचारी कार्यरत हैं। उद्योगों में सासन पावर, एस्सार पावर एवं विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रमुख हैं।

#### 5.5.3.1 कृषि आधारित उद्योग

नगर में परम्परागत कृषि कार्य आज भी सम्पादित हो रहा है, जिसको प्रोत्साहित करने एवं कृषि उत्पाद को आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से किए जाने के आशय से कृषि आधारित उद्योग जैसे— ऑगल मिल, दाल मिल, राईस मिल आदि प्रमुख हैं। इनके विकास हेतु परसौना तिराहे के पास नौगढ़ में 35.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.5.3.2 सामान्य उद्योग

प्रदूषण रहित सामान्य उद्योगों की स्थापना हेतु ग्राम गनियारी में 53.00 हेक्टेयर वर्तमान औद्योगिक प्रक्षेत्र से संलग्न भूमि भावी विकास हेतु प्रस्तावित है। ग्राम गनियारी प्रक्षेत्र में ग्रामीण आबादी से संलग्न 34.00 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत हानिकारक उद्योग संचालित थे, जिसमें ज्वलनशील पदार्थों के कारण विस्फोट हुआ, जिससे फैंक्ट्री क्षेत्र के साथ ग्रामीण आबादी क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। अतः ऐसे विस्फोटक उद्योगों को बरगवाँ में हानिकारक एवं विस्फोटक पदार्थों के संग्रहण हेतु प्रस्तावित स्थल के अंतर्गत पुनर्स्थापना प्रस्तावित है।

### 5.5.3.3 हानिकारक एवं विस्फोटक उद्योग

सिंगरौली कोयला धारित क्षेत्र में कोयला उत्खनन हेतु विस्फोटक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसके लिये बरगवाँ नगर के ग्राम डगा में 74.48 हेक्टेयर, ग्राम बरहवा टोला में 52.86 हेक्टेयर भूमि हानिकारक उद्योगों के विकास हेतु प्रस्तावित है। गनियारी के विस्फोटक उद्योग भी यहाँ स्थापित हो सकेंगे।

### 5.5.3.4 वन आधारित उद्योग

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में एवं उससे संलग्न क्षेत्र में घना जंगल है, जो कई प्रकार के वृक्ष एवं बहुमूल्य जड़ी-बूटियों एवं फलदार वृक्षों से आच्छादित है। अतः वन उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु वन क्षेत्र के समीप मोरवा एवं कुशवई में 15.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

### 5.5.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक/ अर्धसार्वजनिक उपयोग अनुज्ञेय हैं। विकास योजना 2035 में इस उपयोग के अंतर्गत 505.29 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो कुल क्षेत्र का 2.95 प्रतिशत है।

### 5.5.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

इस उपयोग के अंतर्गत केन्द्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय निकाय एवं अन्य निजी कार्यालय, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इस उपयोग हेतु कुल 893.63 हे. भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.5.6 सार्वजनिक सेवाएँ-सुविधाएँ

स्थल सत्यापन, सुदूर संवेदन प्रणाली तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर वर्तमान में सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ भूमि उपयोग के अंतर्गत 51.71 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है। प्रस्तावित योजना में सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ के अंतर्गत कुल 55.27 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

### 5.5.7 आमोद-प्रमोद

खुले स्थान, उद्यान, बगीचे, सघन वृक्षारोपण आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिनके सहारे नगर जीवन प्राणवायु ग्रहण करता है। नगर में इस उपयोग हेतु

2450.74 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें प्रमुख मार्गों तथा नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सघन वृक्षारोपण कर हरित पट्टी निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिससे नगर के घने बसे हुए क्षेत्रों में भी हरित क्षेत्र का लाभ प्राप्त हो सके। गोविन्द वल्लभ पंत सागर से संलग्न निचले डूब प्रभावित क्षेत्र सघन वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हैं। निजी एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी बगीचे तथा उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं नगर स्तरीय उद्यानों का विकास नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

#### 5.5.7.1 वनस्पति उद्यान

प्राकृतिक औषधियों का सेवन मानव जीवन को निरोगी बनाता है। जड़ी-बूटियों के उत्पादन से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। अतः निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियारी में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 20.00 हेक्टेयर भूमि वनस्पति उद्यान हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 5.5.7.2 क्षेत्रीय उद्यान

सिंगरौली में देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के व्यक्तियों का आवागमन होता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए माजनकला से ढेंकी जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के दक्षिण में ग्राम पचखोरा में स्थित 3 तालाबों को सम्मिलित करते हुए 20.00 हेक्टेयर भूमि में राष्ट्रीय स्तर का उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 5.5.7.3 नगर उद्यान

निवेश क्षेत्र अंतर्गत बैढन, मोरबा, विन्ध्यनगर तथा एन.सी.एल. द्वारा अपने-अपने परिसरों में एक-एक उद्यान वर्तमान में विकसित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। अतः आवासीय क्षेत्रों में, खुले स्थानों में छोटे-छोटे उद्यानों के साथ नगरीय एवं स्थानीय उद्यानों के रूप में, नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, लगभग 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास नगर उद्यान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इन उद्यानों में वाहन पार्किंग/अत्यावश्यक दुकानें, जन-सुविधाओं का विकास सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मान्य होगा।

#### 5.5.8 यातायात एवं परिवहन

इस उपयोग के अंतर्गत मार्ग, रेल क्षेत्र, बस स्टैण्ड, यातायात अवसान केन्द्र एवं पार्किंग स्थल आदि परिवहन संबंधी सेवा सुविधाओं का समावेश होता है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु कुल 2402.45 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो कुल क्षेत्रफल का 14.04 प्रतिशत है।

#### 5.5.9 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से तालाब, जल विस्तार, डूब में आने वाले क्षेत्र इत्यादि संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल

फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाएँ निम्नानुसार हैं:

1. नालों एवं जलाशयों के किनारे सघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठोस निस्तार वस्तुओं एवं उनके निस्तारण के प्रबंधन का सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि ये पर्यावरण एवं जल स्रोतों को प्रदूषित न करें। बायोगैस उत्पादन, धुआँ रहित ईंधन व भवन निर्माण सामग्री जैसे फ्लाइएश/काँक्रीट ब्लॉक्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2. अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्रोतों का प्रबंधन स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिए, जो विधि-विधानों के प्रावधानों के अधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो।
3. आसपास के क्षेत्र की भवन निर्माण गतिविधियों के लिए पृथक से नियमन का प्रावधान।

#### 5.5.9.1 जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तालाबों का उपयोग कपड़े धोने, पशुओं के पानी पीने एवं नहाने के लिए होता है। इन तालाबों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जलशयों का विवरण सारणी 5-सा-5 में दिया गया है।


## जलाशयों का विकास


सारणी 5-सा-5


क्र.	तालाब का नाम	स्थिति	प्रस्ताव
1.	2.	3.	4.
1.	बैढ़न तालाब क्र. 1 एवं 2	बैढ़न	सौन्दर्यीकरण एवं आमोद-प्रमोद हेतु विस्तार
2.	हरई तालाब	हरई पश्चिम	-- --
3.	ढोंटी तालाब	ढोंटी	-- --
4.	कचनी तालाब	कचनी	-- --
5.	मुहेर तालाब	मुहेर	-- --
6.	घुरीताल तालाब	घुरीताल	-- --
7.	ढेंकी तालाब	ढेंकी	-- --
8.	भरुहा तालाब	भरुहा	-- --
9.	नवानगर तालाब	नवानगर	-- --
10.	बिलौजी भटवा तालाब	बिलौजी भटवा	-- --
11.	तेलाई तालाब	तेलाई	-- --
12.	चन्दावल तालाब	चन्दावल	-- --
13.	पचखोरा तालाब	पचखोरा	-- --
14.	इटवा तालाब	इटवा	-- --
15.	सरसवाह तालाब	सरसवाह	-- --
16.	घुरौली तालाब	घुरौली	-- --
17.	सिंगरौलिया तालाब	सिंगरौलिया	-- --
18.	माजन तालाब	माजन	-- --
19.	गनियारी तालाब	गनियारी	-- --
20.	करुआरी तालाब	करुआरी	-- --
21.	दसौती तालाब	दसौती	-- --
22.	दुधीचुआँ तालाब	दुधीचुआँ	-- --
23.	अमझर तालाब	अमझर	-- --


### 5.5.9.2 तरण-ताल

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बड़े तालाबों को तरण-ताल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ग्राम बलियारी में करौदी घाट, तथा गोविन्द वल्लभ पंत सागर का नौका विहार हेतु विकास किया जाना प्रस्तावित है।









### 5.5.10 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का अध्ययन करने पर पाया गया कि कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के साथ-साथ माल उतारने-चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़-भाड़ एवं कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही ऐसी गतिविधियाँ जो आस-पास के उपयोगों से भिन्न होने के कारण असंगत उपयोग के अंतर्गत आती हैं, उन्हें भी स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। असंगत भूमियों की पुनर्स्थापना का विवरण सारणी 5-सा-6 में दिया गया है।

### असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 5-सा-6

क्र.	स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थान	रिक्त होने पर उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.
1.	फल-सब्जी मण्डी बैढ़न	बस स्टैण्ड के पास बैढ़न	ग्राम तेलाई	फुटकर सब्जी मण्डी
2.	सब्जी तथा गल्ला मण्डी मोरबा	मध्य क्षेत्र मोरबा	ग्राम मेढौली	फुटकर सब्जी मण्डी
3.	माँस एवं मछली दुकानें	न्यायालय के आगे विन्ध्यनगर रोड बैढ़न	औद्योगिक क्षेत्र मार्ग पर	सामान्य वाणिज्यिक
4.	माँस एवं मछली दुकानें	मस्जिद के पास सर्किट हाउस रोड मोरबा	एम.पी.ई.बी के पास मुख्य मार्ग पर	सामान्य वाणिज्यिक
5.	कृषि उपज मण्डी	बिलौजी मेन रोड बैढ़न	कृषि क्षेत्र	शासकीय कार्यालय
6.	पशु चिकित्सालय	रेस्ट हाउस के पास बैढ़न	कृषि क्षेत्र	शासकीय कार्यालय
7.	अयाज सॉ मिल एवं अन्य	मुख्य मार्ग बैढ़न एवं मोरबा तथा बरगवाँ	विकास योजना प्रस्तावानुसार	सामान्य वाणिज्यिक

### 5.6 अनौपचारिक वर्ग

रोजगार की तलाश में अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित बेरोजगार सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी अनौपचारिक वर्ग का निर्माण करते हैं। यह वर्ग बहुत कम अधोसंरचना एवं नगरीय स्थल की अपेक्षा रखता है लेकिन नगर की आर्थिक गतिविधियों में

इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वर्ग के लोग प्रमुख कार्य केन्द्रों एवं बड़े आवास समूहों तथा औद्योगिक क्षेत्रों, कम्पनियों, खदानों के समीपस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। अतः विकास योजना प्रस्ताव तैयार करते समय इस वर्ग के लिए क्षमता निर्माण एवं आर्थिक गतिविधियाँ समाहित करने की नीति अपनाई गई है। सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों, खण्ड स्तरीय दुकानों एवं सुलभ दुकानों का प्रावधान, सेवा संबंधी थोक व्यापार, माल लादने व उतारने के लिए प्रावधान, औद्योगिक क्षेत्रों, खदानों तथा कम्पनियों के समीपस्थ आवागमन एवं रहवास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

## अध्याय-6 विकास नियमन

### 6.1 प्रवृत्तशीलता

ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगे:

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

### 6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यात्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।
6. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी।
7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी।
9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है, तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।
12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा।
13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी, परन्तु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक, एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों

- के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों, आमोद-प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
  17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाए, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए, तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
  18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।
  19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।
  20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।
  21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
  22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा, तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जाएगा।
  23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे।
  24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

### 6.3 परिभाषाएँ

1. उपयोग परिक्षेत्र: मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
2. उपयोग परिसर: ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो, एवं जिसे की अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
3. अभिन्यास: उपविभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार दिए हों।
4. भूमि उपयोग मानचित्र: सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र
5. परिक्षेत्रिक योजना: निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
6. नगरीय ग्राम: भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी
7. नगरीय विरासत का क्षेत्र: ऐसा परिसर जिसमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उराके आरापारा का परिसर सम्मिलित हो।
8. विकसित क्षेत्र: विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
9. एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास: परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार/संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
10. मिश्रित उपयोग: इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।
11. ऊँचे भवनों का विकास: म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित।
12. फर्शी क्षेत्रानुपात: म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
13. भवन की ऊँचाई: म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
14. संवेदनशील क्षेत्र: परिस्थितिजन्य, पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इनके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।  
अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

### 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे, यथा आवासीय,

वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है एवं नगर की आवश्यकतानुसार उपयोग की गई श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-2 में उल्लेखित है।

### मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा-1

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1.	2.	3.	4.
1.	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2.	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3.	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4.	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
6.	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस्त पी 1)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		ड्राय पोर्ट या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री गार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		रोज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
		7.	परिवहन
बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)		
सड़कें	(टी 3)		
रेल्वे स्टेशन	(टी 4)		
रेल्वे लाइन	(टी 5)		
बस डिपो	(टी 6)		
ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)		
हैलीगेड/हवाई अड्डा	(टी 8)		
मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)		
8.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेनिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		टोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
9.	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10.	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आवादी विस्तार	(ए 2)

सिंगरौली निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

सिंगरौली: मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा-2

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1.	2.	3.	4.
1.	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
2.	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3.	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4.	मनोरजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील/ जलाशय के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
6.	विशेष प्रयोजन	तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 1)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 2)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 3)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 4)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 5)
		अन्य	(एस पी 6)
7.	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई पट्टी	(टी 8)
8.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेडिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
9.	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10.	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

## 6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

### 6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-3 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित हैं, एवं सारणी में दर्शाए भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ज) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।
6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

### सिंगरौली: आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

सारणी 6-सा-3

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. मी)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1.	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.5	2
2.	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
3.	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
4.	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5.	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6.	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7.	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8.	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9.	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10.	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11.	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12.	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13.	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14.	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोट:

- उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
- सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
- वे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य का है, उनको पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन तथा एफ.ए.आर. के अनुसार, अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु भवन रेखा निर्धारित करने के पश्चात्।
- सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयाँ मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई, तथा ऐरो निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

#### 6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6-सा-4 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

#### आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा-4

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1.	2.	3.
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

#### 6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

## 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

## वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-5

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	भवन रेखा (मी. में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू-आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीपः

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के अनुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
  - 18 मीटर तक 1.75
  - 24 मीटर से अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी 6-सा-5 में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमाकों के मानक लागू होंगे।
- अभिन्यास में पार्किंग हेतु प्रावधान एकीकृत रूप से समस्त भूखण्डों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग लॉटरूप में दिए जाने की स्थिति में प्रत्येक परिसर हेतु पार्किंग

की बाध्यता नहीं होगी। वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।

4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जाएंगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से )
12.0 मीटर	09.0 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।

6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6-सा-6 में वर्णित हैं।

#### वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

#### सारणी 6-सा-6

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1.	2.	3.
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत
<b>मार्गों की चौड़ाई</b>		
4.	बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर
	दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर
	दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	7.5 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

#### 6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी:

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।

3. प्रस्तावित फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
4. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

1. 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	100 प्रतिशत
2. 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	80 प्रतिशत
3. फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

#### टीप:

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

#### 6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं, अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है:

1. वाणिज्यिक मार्ग
2. वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6-सा-7 में दर्शाए गए हैं।

### वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6-सा-7

क्र.	मार्ग का नाम	मार्गों की चौड़ाई (मीटर में)	एफ.ए. आर.
1.	2.	3.	4.
1.	बरहवा टोला से रेलवे ब्रगसिंग (बरगवाँ)	35	2.0
2.	परसौना तिराहा से माजन मोड़	40	2.0
3.	माजन मोड़ से ताली पुलिया	35	2.25
4.	ताली पुलिया से तहसील कार्यालय	30	2.50
5.	तहसील कार्यालय से अयाज साँ मिल	18	2.50
6.	अयाज साँ मिल से नवजीवन विहार मील	35	2.50
7.	पुराने पोस्ट ऑफिस से गनियारी चौक	18	2.50
8.	गनियारी चौक से बिलौजी मार्ग नाले तक	18	2.25
9.	माजन मोड़ से नवानगर	35	2.00
10.	सिंगरौली स्टेशन से शुक्ला मोड़ होकर सी.एम.डी. कार्यालय तक	35	2.25
11.	सर्किट हाउस मोरबा से मुख्य बाजार तक	18	2.25
12.	एम.पी.ई.बी. हॉस्पिटल से बस स्टैण्ड होकर एल.आई.जी. चौक तक	18	2.25

#### नोट:

1. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
2. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार्य होगा।

#### निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

### 6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

### 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

#### 6.4.4.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

#### 6.4.4.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किए जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ना भी संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

#### 6.4.4.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।

### 6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-8 में दर्शाए गए हैं।

**सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन**

**सारणी 6-सा-8**

क्र.	विवरण	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1.	2.	3.	4.
1.	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.00
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	30 प्रतिशत	1.00
3.	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4.	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5.	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.00
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25
7.	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.00
8.	अग्निशमन स्थल	30 प्रतिशत	1.00
9.	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.00
10.	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

टीप: 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

**6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड**

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्चास स्तर पर न किया जाए।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छ: में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6-सा-9 में दर्शाए गए हैं।

**सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड**

**सारणी 6-सा-9**

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>शैक्षणिक भवन</b>					
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0	12.0	5.0
	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0	15.0	6.0
2	<b>स्वास्थ्य</b>					
	हॉस्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हॉस्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेच्रोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50	
3	<b>जनसंपयोगिता एवं सेवायें</b>					
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	-	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निषमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निषमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	डाक एवं तार	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
विद्युत सब स्टेशन	-	-	-			

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

**नोट**— उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगा जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।

## 6.5 अन्य नियमन

### 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

### 6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

### 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

### 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ टेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6-सा-10 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

### अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-10

क्र.	विवरण	मानक
1.	2.	3.
1.	फुटपाथ व्यापार	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
	वृत्त खण्ड केन्द्र	
	उपवृत्त खण्ड केन्द्र	
	सुलभ शॉपिंग	
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
<b>विद्यालय</b>		
5.	प्राथमिक	3 से 4 इकाई
	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
<b>उद्यान</b>		
6.	नगर उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
	स्थानीय उद्यान	2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेलवे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप: प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

#### 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन चार्जिंग/ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

#### 6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

इस हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी— ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स, सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टॉरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं आनुषंगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं।

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

#### 6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

#### 6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

#### 6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

1. सम्मुख 6.0 मीटर
2. अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर, पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

#### 6.5.10 मैरिज गार्डन

विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

#### 6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1:0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर

**सीमांत खुला क्षेत्र**

सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण	

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी।

**टीप:** शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

**6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड**  
उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

1. भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल- 1000 वर्गमीटर
2. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1:0.40
3. अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत
4. भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर
5. सीमांत खुला क्षेत्र - 6.0 मीटर

**6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

**6.5.14 मल्टीप्लेक्स**

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

**6.5.15 उद्यान**

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषंगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

**6.5.16 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन**

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं:

1. नदी, नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।

2. नहर की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों से दोनों ओर 3.0–3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
4. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. निम्न श्रेणी के संवेदनशील क्षेत्रों में रख-रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

#### ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
  - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
  - समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।
8. पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

#### 6.5.17 अन्य सुविधाएँ

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ स.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

#### 6.6 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6-सा-11 में दिया गया है।

**उपयोग पक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग**

**सारणी 6-सा-11**

S. No.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational	Agriculture		Transport	Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities			
		R1	C2	C5	I2	G1	A1	A2	T7	P	PUF1	PUF3	PUF4		
1.	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1	Apartment housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP		
2	Residential Plot/Plotted Housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP		
3	Group Housing/Row Housing/Cluster Housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP		
4	Residential Dwelling units	P	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP		
5	Children Home	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP		
6	Old age Home	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP		
7	Beauty Parlours	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		
8	Gymnasium	P	P	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP		
9	Open/Playground	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	NP	NP	NP		
10	Hotels	P	P	NP	P	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP		







62	Hospital 100+	P	P	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
63	Hospital 30-100	C	P	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
64	Hospital 10-30	C	P	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
65	Naturapathy Centre	C	P	NP	NP	C	C	C	C	NP	P	NP	NP	NP
66	Health Centre	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
67	Nursing Home / Maternity Home	C	P	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
68	Poly Clinic / Clinic / Dispensary	C	P	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
69	Pet Clinic	P	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
70	Blood/ Plasma bank/ Semen bank/ Pathology Centres/Clinical Laboratory	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
71	Physiotherapy Centres	C	P	NP	P	NP	NP	NP						
72	Govt. And Semi Govt. Offices	C	P	NP	P	C	C	C	C	NP	P	P	P	P
73	Professional Offices/ Chambers	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
74	Jail	NP	P	NP	P	NP	NP	NP						
75	Police Station/ Chowki	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
76	Post Offices	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
77	Radio/TV Station	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
78	Museum/ Art Gallery	P	P	NP	F	C	C	C	NP	NP	P	NP	NP	NP



96	Nursery	P	P	NP	F	P	P	P	NP	F	NP	NP	NP
97	Telephone Exchanges	P	P	NP	F	NP	P	NP	P	F	NP	NP	NP
98	Wire less Stations	P	P	NP	F	P	P	P	NP	F	NP	NP	P
99	Fire Station	P	P	NP	F	P	P	P	NP	F	P	NP	P
100	Telecom Tower & Station	P	P	NP	F	P	P	P	NP	F	P	NP	P
101	Waste water Treatment Plant	P	P	NP	P	C	P	P	NP	F	P	NP	P
102	Sewage Treatment Plant	C	P	NP	F	P	P	P	NP	F	P	NP	P
103	Water storage Tanks & Pumping Station	P	P	NP	F	P	P	P	NP	F	P	NP	P
104	Sewage Pumping station	P	P	NP	F	C	P	P	NP	F	P	NP	P
105	Water Treatment Plant	P	P	NP	F	C	P	P	NP	F	P	NP	P
106	Slaughter house	NP	NP	NP	F	NP	C	NP	NP	F	NP	NP	P
107	Cremation / burial ground /Cemeiry/ Electri Crematorium	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	P	P	P
108	Electric Sub-Station	P	P	NP	F	P	P	P	NP	F	P	NP	P
109	Non polluting Industry	P	NP	NP	F	NP	P	P	NP	F	P	NP	F
110	Agricultural Tourist Facilities	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	P	NP	P	NP	P
111	Religious P-remises / Building.	P	P	NP	C	NP	P	P	P	C	P	NP	NP
112	Social welfare Centre	P	P	NP	NP	NP	C	C	NP	P	P	NP	NP









4. उपरोक्त सारणी में जो गतिविधियां सम्मिलित नहीं हैं, उन गतिविधियों के लिए स्वीकार्यता एवं नियमन उनके समकक्ष गतिविधियों के अनुरूप होंगे।
5. आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत जिन गतिविधियों को C से दर्शाया गया है, इन गतिविधियों के मापदण्ड आमोद-प्रमोद के पैरा में दिए मापदण्ड ही लागू होंगे।

**व्याख्या:**

1. सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्य-प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
2. गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्य-प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
3. कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार।

**टीप:** उपरोक्त व्याख्या 1 एवं 2 के भू-खण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर हो

## अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रणामशील करने हेतु रागरक प्रणाम पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें गानरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रणारों का गार्गरशन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिश्लेत्रीय योजना के उभवंधों के अनुक्रम हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कायोलय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः सिंगरीली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम सिंगरीली, गव्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन से मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु रागरत शासकीय, अर्द्ध शासकीय विकास योजना के क्रियान्वयन की प्रणामस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

### 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। गार्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रूपये 624363.02 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 9327.43 हेक्टेयर भूमि, अधीन हेतु मुआवजा एवं 60 अतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर गानी गई है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग अलग गाना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रणारों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

### सिंगरीली: योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	कुल उपलब्ध भूमि का 80 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आवासीय	4518.99	45.50	2275.00	2771.39	90.00	244625.20	246300.20
2.	वाणिज्यिक	401.61	260.00	13000.00	288.06	120.00	34675.68	17875.68
3.	औद्योगिक	600.41	750.00	37500.00	360.25	120.00	43228.52	80728.62
4.	मिश्रित	103.48	302.00	15100.00	242.09	90.00	21788.19	36888.19
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	640.38	250.00	12500.00	321.29	90.00	29160.77	41600.77
6.	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ	3.67	3.57	178.52	2.14	90.00	192.58	370.90
7.	आमोद प्रगोच	2241.54	004.48	45221.50	1341.92	65.00	73970.01	119195.31
8.	यातायात एवं परिवहन	537.45	450.00	22500.00	322.17	90.00	29022.26	61022.26
कुल क्षेत्र		9327.43	2085.58	148277.82	5596.16	-	476096.20	624368.02

### 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु तीस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. भूमि का कुशलताम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संभारण।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में राष्ट्रभागीता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग गिकारा हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

### 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कृषि एवं शहरी प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुनर्जीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है।

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रयास करना।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्थल क्षेप" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, तालाबों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभागीकरण।
5. निरक्षारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय निरावारण के नियंत्रण हेतु आवश्यकता समन्वय व्यवस्था।

### 7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सदास भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का सुव्यवस्थित प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वाः

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना पूर्ण बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. समन्वय विकास अनुज्ञा हेतु सब उपलब्ध करना

#### 7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की नागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु ज़रूरी होगी।

#### 7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में राशिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लागू राज्य शरान के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

#### 7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नालिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शाराजीय/ अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धाराशि को समग्र पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिक सुविधादायक के रूप में होगी।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य रकमों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जाएगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नालिखित ढाँचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के राश्यों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

### 7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निरंतर स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

### 7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी सहायता की गारंटी होगी। समीक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगा:
  1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
  2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूढ़ दे सके।
  3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की सहकारिता की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
  4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोतों का विकास।
  5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निष्कास व्यवस्था का विकास।

6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ राज्य ही लक्षित समूह अकार्यों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि विभाजन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के सांसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
8. मुख्य जल स्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

### 7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त विनियानुसार हैं-

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यापकतित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहलुन मार्ग उपलब्ध करना।
4. अद्विविकरित एवं अविकरित क्षेत्रों में नगर राष्ट्रीय अधोसंरचना का उन्नयन।
5. गू स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम लाभ में लेना।

### 7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

#### प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-2

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हे.	प्रस्तावित स्थल
1.	2.	3.	4.
1.	आवाराय	15.11	ग्राम परसौना में प्रस्तावित मार्ग से लगकर ग्राम परसौना, गोगड़, बरहवा टोला में प्रस्तावित मार्ग से लगकर प्रस्तावित
2.	वाणिज्यिक	86.62	गानियारी औद्योगिक क्षेत्र से लगकर, ग्राम डगा एवं गजरिया में प्रस्तावित
3.	औद्योगिक	249.79	ग्राम बरहवा टोला, देवरी, परसौना, जिनहर, गनियारी, एवं बानियारी में प्रस्तावित मार्ग से लगकर प्रस्तावित
3.	मिश्रित	100.43	कलेक्ट्रेट परिसर एवं तरासे चलंग क्षेत्र, ग्राम डगा, मधौर, गाजन खुर्द, दिल्लीजी रेलियाना, देवरा एवं हिस्वा में प्रस्तावित
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	85.01	प्रस्तावित स्टेशन, ग्राम गनियारी, आदि में
5.	अभ्युद प्रगोद	303.88	प्रस्तावित वेहन एवं बरगावा बाधशाश, व अन्त
6.	गतायात	140.00	

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आजीव्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7 सा 2 में वर्णित अनुसार विहित किया गया है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उन्की लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शाराकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यत: निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित धरकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 1989 84 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 208177.07 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7-सा-3 में दिया गया है।

### सिंगरीली: प्रथम चरण लागत

सारणी 7-सा-3

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन हेतु भौतिक लक्ष्य (हे. में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 लाख प्रति हे. के मान से )	विकास हेतु उपलब्ध भूमि का 20 प्रतिशत			कुल लागत (रु. लाख में)
				क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आवासीय	15.11	755.50	903.80	90.00	81341.78	82097.20
2.	वाणिज्यिक	86.62	4331.00	96.32	120.00	11555.56	15806.56
3.	औद्योगिक	239.79	11989.50	120.08	120.00	14409.87	26899.37
4.	निश्चित	100.43	5021.50	80.79	80.00	7262.73	12284.23
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	65.81	4290.50	108.05	90.00	9728.92	14017.42
6.	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ			0.71	90.00	64.19	64.19
7.	आमोद प्रमोद	313.88	15694.00	448.31	55.00	24656.94	38850.94
8.	यातायात परिवहन	118.00	7400.00	107.49	90.00	9674.09	17074.09
	कुल क्षेत्र	939.64	49482.00	1965.49	-	158695.07	208177.07

### 7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकारा एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकारा एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।


वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकारा में राणी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया शौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

### 7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उमलका निवेश एवं वकालत का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक शौतिक तद्व्य एवं अधोसंरचना विद्यमान में निवेश निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिचरित करना।
9. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
  1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
  2. सिंगरीलों विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
  3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
  4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
  5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, सार्वजनिक में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के उभुरूप संसाधनों की उमलक्यता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उभुरूप तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है।



### 7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सिंगरौली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम सिंगरौली का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/45/32/2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा जिलाध्यक्ष सिंगरौली की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

### 7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही चुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

### 7.10 योजना की व्याख्या

सिंगरौली विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-11 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/स्वीकार्य भू-उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

## अनुसूची

### परिभाषाएँ

- 001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**  
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**  
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों
- 003 आवासीय प्लेट**  
एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**  
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**  
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (होस्टल)**  
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**  
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**  
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थायी रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**  
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 010 रैन-बसेरा (नाइट शेल्टर)**  
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 011 फुटकर दुकानें**  
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

- 012 मरम्मत दुकान**  
गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।
- 013 व्यक्तिगत सेवा दुकान**  
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।
- 014 बेडिंग बूथ**  
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।
- 015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र**  
लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।
- 016 स्थानीय दुकान केन्द्र**  
लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।
- 017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई**  
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।
- 018 थोक व्यापार**  
ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।
- 019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण**  
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।
- 020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**  
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
- 021 गैस गोदाम**  
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।
- 022 तेल डिपो**  
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।
- 023 कबाड़खाना**  
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।
- 024 वाणिज्यिक कार्यालय**  
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

- 025 बैंक**  
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।
- 026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**  
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।
- 027 छविगृह**  
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।
- 028 पेट्रोल पंप**  
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।
- 029 रेस्टोरेंट/उपहार गृह**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।
- 030 होटल**  
ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।
- 031 मोटल**  
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।
- 032 प्लेटेड समूह उद्योग**  
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।
- 033 सेवा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।
- 034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग**  
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।
- 035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग** ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।
- 036 उद्यान (पार्क)**  
आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हो, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

- 037 क्रीडांगन**  
बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।
- 038 बाह्य खेल स्टेडियम**  
बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।
- 039 आंतरिक खेल स्टेडियम**  
अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।
- 040 आंतरिक खेल हाल**  
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।
- 041 शूटिंग रेंज**  
ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।
- 042 तरण पुष्कर**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
- 043 आमोद-प्रमोद क्लब**  
संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।
- 044 ऐतिहासिक स्मारक**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।
- 045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय**  
संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।
- 046 पक्षी अभ्यारण्य**  
पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।
- 047 वनस्पति उद्यान**  
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।
- 048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट**  
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

**049 फ्लाईंग क्लब**

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मन्ोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

**050 माल एवं टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो।

**051 रेल माल गोदाम**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भण्डारण हेतु किया जाता हो।

**052 रेल टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।

**053 सड़क परिवहन टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

**054 वाहन विराम**

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

**055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

**056 बस अवसान केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

**057 बस स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

**058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर**

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।

3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
  4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
  5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जात हो।
  6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
  7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
  8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
  9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।
- 059 केन्द्र शासन के कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 060 स्थानीय शासन के कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।
- 061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 062 न्यायालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)**  
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।
- 064 चिकित्सालय**  
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।
- 065 स्वास्थ्य केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

- 066 उपचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।
- 067 औषधालय**  
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।
- 068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।
- 069 उपचार प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।
- 070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा**  
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।
- 072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल**  
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।
- 073 माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।
- 074 प्राथमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।
- 075 उच्चतर माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।
- 076 एकीकृत शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।
- 077 एकीकृत आवासीय शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

- 078 महाविद्यालय**  
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।
- 079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।
- 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।
- 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।
- 082 पुस्तकालय**  
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।
- 083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।
- 084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण**  
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।
- 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।
- 087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 088 बाल यातायात उद्यान**  
ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो।
- 089 संग्रहालय**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

- 090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल**  
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।
- 091 सभागृह (ऑडीटोरियम)**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।
- 092 खुला रंगमंच**  
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।
- 093 सामुदायिक भवन**  
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।
- 094 मेला मैदान**  
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।
- 095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।
- 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**  
ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।
- 097 सुधार गृह**  
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।
- 098 अनाथालय**  
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।
- 101 पुलिस चौकी**  
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 पुलिस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

- 103 जिला पुलिस कार्यालय**  
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**  
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।
- 106 जेल**  
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**  
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 अग्निशमन पोस्ट**  
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 टेलीफोन एक्सचेंज**  
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।
- 113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**  
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावरस जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

**116 पैघशाला एवं मौसम कार्यालय**

ऐसा परिसर जहाँ मौसम के आँकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

**117 बाग (झोरचर्ची)**

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

**118 डेरी फार्म**

ऐसा परिसर जहाँ डेयरी उत्पादन के रूपवार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**119 कृककृक फार्म**

कृककृक उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधासुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**120 सुअर पालन**

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधासुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**121 ग्रामीण केन्द्र**

एक निश्चित संख्या के ग्रामीं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधासुक्त परिसर।

**122 महलीसैक्स**

म.प्र. शूमे विकास नियम 2012 के विगम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक लिनेमा के साथ तुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, फलालय, गोखम, होदल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल संबंधी परिसर।

## परिशिष्ट—एक

### मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997

क्रमांक-एफ-3-123-बत्तीस-97-मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यशासन, एतद् द्वारा, सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं।

### अनुसूची

#### सिंगरौली : निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर —** बरहवों टोला, बरगवों, डगा, कन्हई, भलुगढ, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी, एवं ग्राम चुरकी की उत्तर सीमा तक ।
- पूर्व —** चुर्की, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, दुद्धीचुओं, सरसवाहलाल, सरसवाह राजा, चुदुली, मटवई, मटवई व तेलगवों, जवांडी, जयनगर, गहिलगढ पश्चिम, चन्दावल, सेमारिया, खजूरी, एवं ग्राम बलियारी की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण —** ग्राम बलियारी, मनियारी, हिरवाह, सिंगरौलिया, खजूरी, एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक ।
- पश्चिम —** ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, गदसा, गुल्लोडांड, गडेरिया, डगा, बरगवों एवं ग्राम बरहवों टोला की पश्चिमी सीमा तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 मई 2000

कार्यालय संयुक्त संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय

रीवा (म.प्र.)

**अधिसूचना**

क्र० 700 वि.यो./नग्रानि./2002- मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सिंगरौली निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 424/वि.यो./2000, दिनांक 25 मार्च 2000 द्वारा किया गया था।

अब एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन सिंगरौली निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से दिनांक 19 मई 2000 को अंगीकृत किया जाता है। तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को (मध्यप्रदेश राजपत्र) में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगी कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 19 मई से 02 जून 2000 तक जिलाध्यक्ष कार्यालय, सीधी नगर पालिक निगम सिंगरौली (बैंढन) के सभा भवन सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कैम्प कार्यालय सीधी एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा के कार्यालयों से कार्यकारी दिवसों में कार्यालयीन समय में सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी।

एस./डी.

संयुक्त संचालक

(आर.के. मुदलियार)

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2009

**मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल  
अधिसूचना**

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2009

क्रमांक-एफ-3-6-2009-बत्तीस-मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उप खण्ड (क) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-123- बत्तीस-97, दिनांक 5 दिसम्बर 1997 द्वारा गठित सिंगरौली निवेश क्षेत्र की सीमा में वृद्धि करते हुये वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करता है :-

**अनुसूची**

**सिंगरौली : निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ**

**उत्तर में-**

बरहवाँ टोला, बरगवाँ, डगा, कन्हई, भलुगढ, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।

**पूर्व में-**

चुकी, पिण्डरताली, तनाज्जाह, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, मेंढौली, दुद्धीचुआँ, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चन्दुली, मटवई, तेलगवाँ, जुवांडी, जयनगर, गहिलगढ पश्चिम, गहिलगढपूर्व, चन्दावत, सेमरिया, बलियार पतुलखी, शासन हरहवा, की पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण में-**

हरहवा, अमरहा, झाती टोला, तियरा, परसदेही, चाचर, बसौंडा, भुडकुड, रम्पा, कोटिया, बेतरिया, धूनी, की दक्षिणी सीमा तक।

**पश्चिम में-**

धूनी, नगवाँ, खैराही, सेमुआ, बन्धौरा, रैला, करसुआ लाल, खोखरी, चितारवई खुर्द, अमिलवान, गहिलरा, मानिकचौरा, कांजी टोला, भांडी, बरौहा, कांजन, बंधेला, पिपराझोंपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवाँ एवं ग्राम बरहवाँ टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार

वर्षा नावेलकर

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 दिसम्बर 2011

**कार्यालय संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा (म.प्र.)  
अधिसूचना**

**रीवा, दिनांक 18 नवम्बर 2011**

क्र. 1699 वि.यो/नग्रानि/रीवा/2011- एतद् द्वारा सिंगरौली वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये भूमि उपयोग के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा - 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही हैं, जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा की वृद्धित निवेश क्षेत्र का मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक- एफ-रू-6-2009- बत्तीस - 04 फरवरी 2009 सिंगरौली निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

- उत्तर में -** बरहवों टोला, बरगवों, डगा, कन्हई, भलुगढ, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।
- पूर्व में -** चुर्की, पिण्डरताली, तनाजाह, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, मेंढौली, दुद्धीचुआँ, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चन्दुली, मटवई, तेलगवों, जुवांडी, जयनगर, गहिलगढ पश्चिम, गहिलगढपूर्व, चन्दावल, सेमरिया, बलियार पतुलखी, शासन हरहवा, की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण में -** हरहवा, अमरहा, झाली टोला, तियरा, परसदेही, चाचर, बसौंडा, भुडकुड, रम्पा, कोटिया, बेतरिया, धूनी, की दक्षिणी सीमा तक।
- पश्चिम में -** धूनी, नगवों, खैराही, सेमुआ, बन्धौरा, रैला, करसुआ लाल, खोखरी, चितरवई खुर्द, अभिलवान, गहिलरा, मानिकचौरा, कांजी टोला, भांडी, बरौहा, कांजन, बंधेला, पिपराझाँपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवों एवं ग्राम बरहवों टोला की पश्चिमी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एक सप्ताह तक निरीक्षण के लिये निम्न स्थानों पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु खुला रहेगा :-

1. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा (म.प्र.)
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिंगरौली (बैंडन) जिला सिंगरौली (म.प्र.)

सही /-  
संयुक्त संचालक  
(जे.पी. सिंह)

## परिशिष्ट-दो

### (नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप  
प्रति,

.....  
.....  
.....

महोदय,

मैं नगर ..... तहसील ..... जिला ..... के  
कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार ..... ग्राम ..... में स्थित  
खसरा ..... क्रमांक  
..... भू-खण्ड क्रमांक ..... क्षेत्र .....  
हेक्टर/वर्ग ..... मीटर

..... (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास  
नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा  
..... वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट  
अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक  
..... जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा  
प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता  
हूँ -

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) : .....
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) : .....
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) : .....  
(सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) : .....
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट : .....
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले  
दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) : .....

7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) : .....
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) : .....
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) : .....
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान : .....
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी : .....

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यो को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर .....

आवेदक का नाम .....

आवेदक का पता .....

ई-मेल पता .....

दूरभाष/मोबाइल नम्बर .....

दिनांक .....

## (नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी .....

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला .....

मौहल्ला/बाजार/तहसील ..... कालोनी/गली/ग्राम .....

... में भूखण्ड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर .....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता .....

दिनांक :- .....

## परिशिष्ट-तीन

### मध्यप्रदेश शासन

### आवास एवं पर्यावरण विभाग

#### मंत्रालय

#### आदेश

भोपाल, दिनांक 15.04.2010

क्रमांक-एफ-3-45/32/2010 : राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 20.1.1998, आदेश क्रमांक एफ-3-55/32/98, दिनांक 12.8.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97, दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर। | अध्यक्ष    |
| 2  | सांसद, संबंधित क्षेत्र  | सदस्य      |
| 3  | अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण  | सदस्य      |
| 4  | अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत  | सदस्य      |
| 5  | महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम  | सदस्य      |
| 6  | निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक  | सदस्य      |
| 7  | अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका   | सदस्य      |
| 8  | अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत   | सदस्य      |
| 9  | मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री   | सदस्य      |
| 10 | संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका/नगरपंचायत                              | सदस्य      |
| 11 | लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री  | सदस्य      |
| 12 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री                                  | सदस्य      |
| 13 | मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री                                       | सदस्य      |
| 14 | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी                           | सदस्य      |
| 15 | संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित जिला कार्यालय                         | सदस्य सचिव |

- (अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।
- (ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
- (स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
सही./-  
(वर्षा नावलेकर)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग